



रोजगार और नियोजन



वर्ष-22, अंक-28, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित



18 दिसंबर 2024, बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, निःशुल्क

छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार से विकास की रफ्तार हुई दोगुनी

जनादेश परब: 1124 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष को 'अटल निर्माण वर्ष' के रूप में मनाने की घोषणा के साथ राज्य में विकास और सुशासन का नया अध्याय शुरू हुआ है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित जनादेश परब कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी. नड्डा और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य की प्रगति को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इस अवसर पर 1124 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया।

डबल इंजन सरकार का डबल फायदा

केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में प्रदेश को डबल इंजन सरकार का लाभ मिल रहा है। देश आज विश्व की पांचवीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है और छत्तीसगढ़ इसमें तेजी से योगदान दे रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में 18 लाख



1124
करोड़ रुपए का
लोकार्पण और
शिलान्यास
2025
रजत जयंती
'अटल निर्माण
वर्ष' के रूप में

जरूरतमंद परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति और किसानों को धान का

बोनस भुगतान जैसी योजनाएं डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं।

अटल निर्माण वर्ष की घोषणा

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष को 'अटल निर्माण वर्ष' के रूप में मनाने की घोषणा करते हुए कहा कि अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सुशासन के लिए पारदर्शिता और डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत किया गया है। ई-ऑफिस प्रणाली और सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन प्रशासन को जवाबदेह बनाने के प्रयास हैं।

पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा

बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में एयर कनेक्टिविटी और पर्यटन परियोजनाओं से विकास को गति मिलेगी। कांगेर घाटी के धुडमारास गांव और जशपुर के मधेश्वर शिवलिंग को वैश्विक पहचान मिलना राज्य की उपलब्धियों को दर्शाता है।

नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हों : शाह

जगदलपुर के इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम में बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह शामिल हुए। श्री शाह ने इसे बस्तर के विकास, शांति और नई शुरुआत का प्रतीक बताया। इस दौरान नक्सलियों से अपील के साथ चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि नक्सली हथियार डालकर समाज की मुख्यधारा में वापस लौटते हैं तो स्वागत है और उन्हें पीएम मोदी और सीएम साय की योजनाओं का फायदा मिलेगा। यदि वे हथियार नहीं डालते तो उनसे सुरक्षा बल दो-दो हाथ करते हुए उन्हें निपटाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनाई है जिसमें आत्मसमर्पण के बाद हर नक्सली के पुनर्वास की व्यवस्था की गई है।

बस्तर ओलंपिक पूरे बस्तर की उम्मीदों की पहचान

बस्तर ओलंपिक न केवल खेल आयोजन है, बल्कि बस्तर में बदलाव की तस्वीर है इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि



नक्सल पीड़ित दिव्यांगों ने भी खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेकर ये संदेश दिया है कि उन्होंने अब तक न तो हार मानी है और न ही आगे कभी वे हार मानेंगे। बस्तर में शांति की स्थापना के लिए वे तन-मन से संकल्पित हैं और इसके लिए वे पूरी तरह से सरकार का सहयोग करने में लिए तत्पर हैं। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, वहीं श्री शाह ने विजेता रही टीमों व खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया।

विस्तृत खबर पढ़ें पेज-20 पर

गौरवशाली उपलब्धि: छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला 'प्रेसिडेंट कलर' सम्मान

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ दौरे के पहले दिन रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस को उनकी वीरता, सेवा और समर्पण के लिए 'प्रेसिडेंट कलर' सम्मान प्रदान किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने रायपुर में आयोजित समारोह में यह ऐतिहासिक सम्मान प्रदान करते हुए कहा कि यह किसी भी सशस्त्र बल के लिए सर्वोच्च पहचान है। 25 वर्षों की अल्पावधि में छत्तीसगढ़ पुलिस ने यह उपलब्धि हासिल कर पूरे देश में एक मिसाल कायम की है।

सेवा, त्याग और कर्तव्य का प्रतीक

श्री शाह ने 'प्रेसिडेंट कलर' को सेवा, त्याग और कर्तव्य का प्रतीक बताते हुए पुलिस जवानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सम्मान राज्य की जनता की सेवा के प्रति उनके समर्पण को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस एक विकसित और शांतिपूर्ण छत्तीसगढ़ के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगी।



छत्तीसगढ़ के विकास में पुलिस की भूमिका

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ नक्सलवाद और नशामुक्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता से राज्य का योगदान 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में शाह ने कहा कि नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा शामिल होकर विकास में योगदान दें।

हरदीभाटा को मिला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार



नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों हरदीभाटा के सरपंच श्री मुनेन कुमार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार ग्रहण किया। पंचायत सतत विकास पुरस्कार 27 पंचायतों को प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार कुल 9 विषयों के तहत दिया जाता है, 50 लाख रुपए पुरस्कार की राशि भी प्रदान की गई।

जनादेश परब

मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा जनता में विश्वास कायम करना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि

साय सरकार का स्वर्णिम वर्ष... सुशासन और सुरक्षा, विश्वास का

छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने 13 दिसंबर को अपना एक साल पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपनी सरकार के 10 मंत्रियों के साथ एक साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर कहा कि छत्तीसगढ़ आने वाले साल को स्वर्ण जयंती के रूप में मनाने जा रहा है। सरकार ने 2028 तक प्रदेश का जीडीपी दस लाख करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। इस एक साल में प्रदेश के युवाओं का पीएससी पर विश्वास फिर से लौट आया है। सीएम ने पत्रकार वार्ता में कहा कि मोदी की गारंटी के रूप में किए सभी बड़े वादों को पूरा कर हमने जनता के विश्वास को कायम रखा है।



रिपोर्ट कार्ड की प्रमुख बातें

- श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की गई।
- प्रदेश में रोजगारपरक औद्योगिक नीति लागू की गई।
- छत्तीसगढ़ जनजातीय

सलाहकार परिषद का गठन भी

- किया गया है।
- जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, रेल और हवाई सुविधाओं का विस्तार।
- बस्तर में पर्यटन कॉरिडोर का

निर्माण किया जा रहा है।

- बैगा, गुनिया, सिरहा के लिए सम्मान निधि।
- एक साल में 210 नक्सली ढेर।

विस्तृत खबर पेज.. 3-4 पर

रिक्लूटमेंट नोटिस

महिला एवं बाल विकास विभाग

पद: पैरा मेडिकल कार्मिक- सहित अन्य

पद संख्या: 13

अंतिम तिथि: 23 दिसंबर 2024

sarangarh-bilaigarh.cg.gov.in

पीजीसीआईएल

पद: ऑफिसर ट्रेनी

पद संख्या: 73

अंतिम तारीख: 24 दिसंबर 2024

www.powergrid.in

सुप्रीम कोर्ट

पद: पीए, सीनियर पीए, कोर्ट मास्टर

पद संख्या: 107

अंतिम तिथि: 25 दिसंबर 2025

sci.go.in

गुरु घासीदास वि. वि. बिलासपुर

पद: सहायक ग्रेड 2, 3 और स्टेनोग्राफर

पद संख्या: 54

अंतिम तिथि: 30 दिसंबर 2024

<https://www.ggu.ac.in/>

IDBI

पद: जूनियर असिस्टेंट मैनेजर (ग्रेड 'O')

पद संख्या: 600

अंतिम तिथि: 30 दिसंबर 2024

<https://www.idbibank.in/>

इंडियन एयरफोर्स

पद: फ्लाइट ऑफिसर

पद संख्या: 336

अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2024

afcat.cdac.in

मेडिकल यूनिवर्सिटी

पद: गुप बी, सी

पद संख्या: 332

अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2024

www.kgmu.org

वर्ष-22, अंक-28, रायपुर

रोजगार और नियोजन

प्रधान संपादक : डॉ. रवि मित्तल

संपादक : जवाहर लाल दरियो

सहायक संपादक : गीतांजलि नेताम

संपादकीय : संदीप सिन्हा

ग्राफिक डिजाइनर : धनेश कुमार दिवाकर

डाटा एंट्री ऑपरेटर : अंजुशानी, राकेश साहू

वितरण व्यवस्था : मोहन मिश्रा, विक्रान्त

- कार्यालय पता -

छत्तीसगढ़ संवाद

(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,

अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)

फोन-0771-2512582, 2512583

ईमेल पता

rojgaraurniyojan@gmail.com

रोजगार और नियोजन

निःशुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

पिक ऑफ द वीक



मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 102 नव दांपत्य जोड़ों को दी बधाई एवं शुभकामनाएं

राइस मिलर्स को जल्द मिलेंगे प्रोत्साहन राशि

खेलों को देंगे बढ़ावा, एसटी वर्ग के युवाओं को पुलिस भर्ती में विशेष छूट, दुग्ध महासंघ एनडीडीबी के हवाले

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जनकल्याण के लिए कई निर्णय लिए गए। इन निर्णयों का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाना है। यह बैठक प्रदेश की जनता के जीवन स्तर को सुधारने और भविष्य को उज्ज्वल बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग

- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में शत-प्रतिशत कस्टम मिलिंग सुनिश्चित।
- फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) की व्यवस्था और मिलिंग प्रोत्साहन राशि 80 रुपए प्रति क्विंटल।
- सरप्लस धान के निराकरण के लिए नीलामी की अनुमति।

वित्तीय सुदृढ़ता और विधायी सुधार

- द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2024-25: छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक का अनुमोदन।

मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय



- विधायी संशोधन: भू-राजस्व संहिता, नगर पालिक निगम अधिनियम, पंचायत राज अधिनियम, और माल व सेवा कर अधिनियम में सुधार प्रस्ताव स्वीकृत।

- विधायकों के लिए संशोधन: छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन (संशोधन) विधेयक पारित।

पुलिस भर्ती में विशेष छूट

- सूबेदार, उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर की भर्ती में ऊंचाई और सीना मापदंड में एक बार के लिए छूट।
- यह निर्णय आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

सीएसआईआर नेट के लिए रजिस्ट्रेशन 30 दिसंबर तक

सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 दिसंबर तक भरे जाएंगे। यह परीक्षा 16 फरवरी से 28 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। सीएसआईआर नेट परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के पास 55 फ्रीसदी अंकों के साथ मास्टर डिग्री या चार साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आवेदन को लेकर विस्तृत जानकारी वेबसाइट <https://csirnet.nta.ac.in> पर जारी की गई है। वहीं दूसरी ओर यूजीसी नेट दिसंबर के लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। आवेदन में 13 दिसंबर से त्रुटि सुधार किए जा सकते हैं। यह परीक्षा 1 से 19 जनवरी 2025 तक आयोजित की जाएगी।

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 73 पदों पर भर्ती

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) में ऑफिसर ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकली है। अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2024 निर्धारित किया गया है। शैक्षणिक योग्यता: यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एजाम का वैलिड स्कोरकार्ड होना चाहिए। संबंधित क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री / डिप्लोमा / मास कम्युनिकेशन में डिग्री / डिप्लोमा / एमबीए इन एचआर किया हो। आयु सीमा: अधिकतम आयु 28 साल। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। कैसे करें आवेदन: ऑफिशियल वेबसाइट www.powergrid.in जाकर आवेदन कर सकते हैं।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में हेड कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल की भर्ती

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल की भर्ती के लिए उम्मीदवार आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट itbpolice.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 22 जनवरी 2025 निर्धारित किया गया है। शैक्षणिक योग्यता: हेड कॉन्स्टेबल (मोटर मैकेनिक): 12वीं पास और मोटर मैकेनिक या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आईटीआई सर्टिफिकेट / डिप्लोमा और 3 वर्ष का अनुभव। कॉन्स्टेबल (मोटर मैकेनिक): 10वीं और मोटर मैकेनिक में आईटीआई सर्टिफिकेट या ट्रेड में 3 साल अनुभव। आयु सीमा: 18 से 25 साल और आरक्षित छूट।

स्वास्थ्य विभाग में 23 पदों पर संविदा भर्ती

नारायणपुर जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत 23 संविदा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। उम्मीदवार 25 दिसंबर 2024 की संध्या 5:30 बजे तक अपने आवेदन जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, नारायणपुर में जमा कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप नारायणपुर जिले की वेबसाइट www.narayanpur.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। मितानियों को अनुभव के आधार पर प्रति वर्ष 4 अंक (अधिकतम 20 अंक) दिए जाएंगे, लेकिन यह प्रावधान केवल 31 दिसंबर 2017 तक ए.एन.एम. पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण मितानियों पर लागू होगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही आवेदन करने के पात्र होंगे।

सुकमा में WDT सदस्य पद के लिए आवेदन आमंत्रित

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (WDC-PMKSY 2.0) के तहत सुकमा जिले में परियोजना संचालन हेतु WDT सदस्य (लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर) के पद पर संविदा नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया है। चयनित उम्मीदवार को 23,000 रुपए प्रति माह मानदेय प्रदान किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 20 दिसंबर 2024 सायं 5:30 बजे तक भेज सकते हैं। भर्ती के लिए आवेदन का प्रारूप सुकमा जिले की वेबसाइट <https://sukma.gov.in/> से डाउनलोड किया जा सकता है।

BSF में 10वीं पास युवाओं की 275 पदों पर भर्ती

सीमा सुरक्षा बल ने 10वीं पास युवाओं से 275 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती विशेष रूप से खेल से संबंधित प्रमाणपत्र रखने वाले उम्मीदवारों के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार 30 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवार BSF की आधिकारिक वेबसाइट www.bsf.gov.in पर आवश्यक विवरण भरकर दस्तावेज अपलोड करें।

सुप्रीम कोर्ट में 107 पदों पर भर्ती

सुप्रीम कोर्ट में पीए, सीनियर पीए और कोर्ट मास्टर सहित 107 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sci.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2024 निर्धारित किया गया है। शैक्षणिक योग्यता: पद के अनुसार ग्रेजुएशन की डिग्री, एलएलबी पास होना चाहिए। आयु सीमा: 18-35 साल, कैसे करें आवेदन: ऑफिशियल वेबसाइट www.sci.gov.in पर जाएं। नोटिस सेक्शन के तहत 'रिक्लूटमेंट' टैब पर क्लिक करें। अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करें।



सम्मानित छत्तीसगढ़

- जल संरक्षण में राष्ट्रीय पुरस्कार से मिली पहचान
- कांकेर की ग्राम पंचायत मासुलपानी को 5वें राष्ट्रीय
- जल पुरस्कार में मिला द्वितीय पुरस्कार
- 161 जल शेड संरचनाएं और 99 फार्म तालाब बने

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में राज्य की जीत
- चांपा नगर पालिका को सर्वश्रेष्ठ नगरीय निकाय का द्वितीय पुरस्कार
- 4 अन्य नगरीय निकायों को मिला 'स्पार्क 2023-24' पुरस्कार

- देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य का सम्मान
- स्वच्छता के लिए सम्मानित हुए 5 शहर रायपुर, महासमुंद, कुम्हारी, आरंग, पाटन को स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए पुरस्कार

- बस्तर ने पर्यटन में बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान
- बेस्ट टूरिज्म विलेज 2024 में पुरस्कार चित्रकोट - सामुदायिक पर्यटन में उत्कृष्टता धुड़मारास - एडवेंचर पर्यटन में अखिल

- छत्तीसगढ़ की हरित ऊर्जा में एक नई पहचान
- सीबीडीए: जैव ईंधन और जैव ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला पुरस्कार

- खनिज प्रबंधन में देशभर में परचम
- 'खनिज ऑनलाइन पोर्टल' को मिला एक्सीलेंस अवार्ड।

- छत्तीसगढ़ को "बेस्ट एचीवर अवॉर्ड"
- पुरस्कार सेरीकल्चर टूरिज्म, टसर कृमिपालन और टसर धागाकारक गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए

- पोषण माह में छत्तीसगढ़ का शानदार प्रदर्शन
- प्रत्येक आंगनबाड़ी में औसत गतिविधि आयोजन के आधार पर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया
- 1 करोड़ 45 लाख से अधिक गतिविधियां आयोजित कर राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान हासिल किया

- खनिज संपदा में देश का गौरव: छत्तीसगढ़
- गैर-कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी में शानदार प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को मिला द्वितीय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार

- मत्स्य पालन में राष्ट्रीय स्तर पर लहराया परचम
- छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला को मिला "बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड"

संवर रहा है छत्तीसगढ़


यात्रा एक वर्ष की सेवा और सुशासन की

छत्तीसगढ़ के सेवा और सुशासन के इस गौरवशाली एक वर्ष की यात्रा ने प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की नेतृत्व क्षमता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी ने छत्तीसगढ़ को विकास की नई धुरी बना दिया है। चाहे वह कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए नई योजनाएं हों, जनजातीय विकास हो, बुनियादी ढांचे का विस्तार हो, या नक्सल उन्मूलन की दिशा में उठाए गए प्रभावी कदम हों—हर क्षेत्र में प्रदेश ने मील के पत्थर स्थापित किए हैं।



मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और एक बुजुर्ग महिला के बीच का स्नेह और अपनापन हृदय को छू लेने वाला है। यह केवल एक क्षण भर का दृश्य नहीं, बल्कि उनके नेतृत्व की आत्मीयता और सेवा-भावना का प्रतीक है। बुजुर्ग महिला द्वारा मुख्यमंत्री जी को दिया गया यह आशीर्वाद दर्शाता है कि उनका नेतृत्व सिर्फ प्रशासनिक कुशलता तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवता और जनसेवा के गहरे मूल्यों से प्रेरित है। एक सच्चा नेता वही होता है, जो जनता के सुख-दुख का सहभागी बने, उनकी भावनाओं को समझे और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित रहे।

मुख्यमंत्री श्री साय जी की सरलता और करुणा उन्हें न केवल एक प्रभावशाली नेता, बल्कि हर वर्ग के दिल के करीब एक संरक्षक और परिवार का हिस्सा बनाती है। बुजुर्ग महिला की आंखों में झलकता स्नेह और चेहरे पर उभरती मुस्कान इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी ने जनता के दिलों में ऐसा भरोसा और अपनापन कायम किया है, जो राजनीति से कहीं ऊपर है। यह क्षण वास्तव में एक ऐसा प्रेरक संदेश है, जो दिखाता है कि नेतृत्व का असली अर्थ है सेवा, सुशासन, स्नेह और समर्पण।



अंधोसंरचना का विकास

- हवाई सेवाओं का विस्तार
- बिलासपुर से कोलकाता, नई दिल्ली और जगदलपुर से दिल्ली के लिए नई हवाई सेवाएं

- नई रेल लाइन
- कटघोरा से डोंगरगढ़ के बीच 27 स्टेशन रेल लाइन के लिए 300 करोड़ की स्वीकृति

- स्टेट कैपिटल रीजन
- रायपुर, दुर्ग-भिलाई के संग नए स्टेट कैपिटल रीजन का निर्माण

- ई-बस सेवा
- रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में 240 ई-बसों की शुरुआत

- ऊर्जा उत्पादन
- छत्तीसगढ़ में 25,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन जल, सौर और ताप ऊर्जा से आत्मनिर्भर


- मार्गों का विस्तार
- 31 हजार करोड़ रुपये से सड़कों और राजमार्गों का निर्माण 236.1 किलोमीटर का आर्थिक गलियारा

- इन्वेस्ट छत्तीसगढ़
- इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ का आयोजन वैश्विक स्तरीय सम्मेलन के माध्यम से देशी और विदेशी कंपनियों से निवेश आमंत्रित करने के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान

- सिंगल विंडो 2.0
- पोर्टल के माध्यम से एक बार आवेदन पर सभी विभागों से क्लीयरेंस पोर्टल द्वारा उद्योग स्थापना हेतु सभी क्लीयरेंस की आवश्यक जानकारी

रोजगार के अवसर

- शासकीय सेवाओं में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट
- 19 विभागों में 9,000 से अधिक पदों पर भर्ती
- स्व-रोजगार के लिए अवसर
- छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना से युवाओं को 50% सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण
- तैदूपत्ता संग्रहण परिश्रमिक दर 4000 रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा
- 12 लाख 50 हजार संग्राहकों को मिल रहा लाभ



चित्रोत्पला फिल्म सिटी

- राजधानी रायपुर के निकट माना तुता में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का 95.79 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण




विज्ञान और नवाचार का नया केंद्र साइंस सिटी, नवा रायपुर

- भारत सरकार की "स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस (SPOCS)" के तहत 232.73 करोड़ की परियोजना

सेवा और सुशासन ने प्रदेश के भविष्य को नई दिशा दी

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी ने छत्तीसगढ़ में एक नई विकास यात्रा की शुरुआत की है। यह वर्ष प्रदेश के हर वर्ग— किसानों, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों और श्रमिकों—के लिए समर्पित रहा। सेवा और सुशासन के इस वर्ष ने प्रदेश के भविष्य को नई दिशा दी है।

शिक्षा में नवाचार



■ 341 पीएम श्री स्कूल 18 स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई ■ एआई, रोबोटिक और कौशल विकास की नई पहल “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020” लागू

प्रौद्योगिकी शिक्षा

■ जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में आईआईटी की तर्ज पर प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण

कौशल विकास

■ मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत विगत एक वर्ष में 4,949 युवा प्रशिक्षित, 3,026 युवा नियोजित लाईवलीहुड कॉलेज अंतर्गत 2,064 युवा प्रशिक्षित, 1,115 युवा नियोजित

तक्षशिला स्मार्ट रीडिंग जोन एवं नालंदा परिसर

■ रायपुर में 750 सीटर सर्वसुविधायुक्त लाइब्रेरी 13 नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरी 148 करोड़ बजट का प्रावधान

शक्ति को मिला सम्मान



मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

■ गरीब परिवार की कन्याओं के विवाह के लिए 50 हजार रुपये सहायता
■ बेटियों के विवाह में मदद और आत्मनिर्भरता का अवसर


मितानिनों को अब हर माह प्रोत्साहन राशि का ऑनलाइन भुगतान

■ 12 आकांक्षी जिलों में 4750 आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन
■ 27 जिलों के वन स्टॉप सेंटर (सखी सेंटर) में महिला हेल्पलाइन यूनिट की स्थापना



स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

■ डॉ. भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल-रायपुर और छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस-बिलासपुर (सिम्स) में भवन के विस्तार और सुविधाओं के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान
■ शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना के लिए 1526 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान



नक्सल उन्मूलन एवं जनजातीय उत्थान



नक्सल समस्या उन्मूलन अभियान में छत्तीसगढ़ की सफलता

■ 210 नक्सली मारे गए
4894 नक्सली गिरफ्तार किए गए
787 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया

आत्मसमर्पित नक्सलियों को स्थायी आश्रय
■ 15,000 प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए नया जीवन

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना
■ माओवाद प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याज रहित ऋण और अन्य जिलों के लिए 1% ब्याज दर पर ऋण की सुविधा

नियद नेल्लानार, जन जीवन गुलजार



■ 96 गाँवों में 17 विभागों की 53 योजनाओं और 31 सुविधाओं से विकास
■ 40 सुरक्षा कैम्प स्थापित 24 नए प्रस्तावित
■ 28114 ग्रामीणों का आधार कार्ड बना
■ 521 मोबाइल टावर चालू किए गए
■ 221 किमी लम्बाई की 47 सड़कें 5 पुल निर्मित

मुख्यमंत्री सम्मान निधि

■ बैगा, गुनिया और सिरहा को 5,000 रुपये की सालाना सम्मान निधि का मिलेगा लाभ




महतारी सदन योजना


■ 202 ग्राम पंचायतों में बनाए जा रहे महतारी सदन
■ 179 महतारी सदनो के निर्माण हेतु 44.21 करोड़ महिलाओं के लिए सुरक्षित और सशक्त वातावरण

ग्रामीणों के लिए नल से जल

■ 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन का लक्ष्य
■ 40 लाख ग्रामीण परिवारों के घरों में नल कनेक्शन पूर्ण बजट में 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान



कंटेंट: संदीप सिन्हा,
इलस्ट्रेशन: धनेश कुमार दिवाकर



पी.एस.सी. परीक्षा में पारदर्शिता

■ यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा प्रणाली लागू करने का निर्णय
■ छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा-2021 की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का जिम्मा सीबीआई को

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph. No. 07723-224787, Fax No.07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

क्रमांक-01/2024

महासमुन्द, दिनांक 13/12/2024

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि - 04/01/2025 संध्या 4.00 बजे तक

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0) के अन्तर्गत रिक्त स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 (हिन्दी), सहायक ग्रेड-3 के समकक्ष पद एवं वाहन चालक के निम्नांकित पदों पर सीधी भर्ती किये जाने हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

1. रिक्त पदों का विवरण:-

रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित				अन्य पिछड़ा वर्ग				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
		मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
स्टेनोग्राफर ग्रेड-3(हिन्दी)	5	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
सहायक ग्रेड-3के समकक्ष पद	10	1	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	1
वाहन चालक	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

टीप:-

- आवश्यकतानुसार उपरोक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी।
- परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द के पास सुरक्षित रहेगा।
- विज्ञापन में कोई भी शुद्धि पत्र जारी करने, चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने, किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुन्द का होगा, जो कि अंतिम एवं बंधनकारी होगा। इस संबंध में किसी भी पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. भर्ती की पात्रता एवं शर्त:-

स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 (हिन्दी) पद के लिए

- (अ) वेतनमान:- वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 (28700-91300) रूपए, ग्रेड वेतन 2800/-
- (ब) शैक्षणिक योग्यता:-
 - (i) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
 - (ii) मान्यता प्राप्त शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र।
 - (iii) अभ्यर्थी को कम्प्यूटर में हिन्दी मुद्रलेखन का ज्ञान होना चाहिए।
 - (iv) अभ्यर्थी को कम्प्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होनी चाहिए।
 - (v) यह अपेक्षित है कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ी (बोली)/स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।

टीप:- हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत न करें।

सहायक ग्रेड-3 के समकक्ष पद के लिए

- (अ) वेतनमान:- वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 (19500-62000) रूपए, ग्रेड वेतन 1900/-
- (ब) शैक्षणिक योग्यता:-
 - (i) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
 - (ii) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण हो।
 - (iii) अभ्यर्थी को कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन का ज्ञान होना चाहिए।
 - (iv) यह अपेक्षित है कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ी (बोली)/स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।

टीप:- स्नातक एवं कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत न करें।

वाहन चालक पद के लिए

- (अ) वेतनमान:- वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 (19500-62000) रूपए, ग्रेड वेतन 1900/-
- (ब) शैक्षणिक योग्यता:-
 - (i) किसी भी राज्य शासन के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से आठवी कक्षा उत्तीर्ण हो।
 - (ii) परिवहन/कामर्शियल वाहन चालक की वैध अनुज्ञप्ति (लाईसेंस) धारण करता हो तथा सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। (वाहन मैकेनिकों को प्राथमिकता दी जावेगी)
 - (iii) स्वस्थ होना चाहिए।
 - (iv) यह अपेक्षित है कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ी (बोली)/स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।

टीप:-

1. उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी जो किसी अन्य शासकीय विभाग में तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा नियमित वाहन चालक के रूप में सेवा दे रहे हो, इससे संबंधित दस्तावेज जमा करने पर।
 2. ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास परिवहन/कामर्शियल वाहन चालक का वैध अनुज्ञप्ति (लाईसेंस) नहीं है, आवेदन प्रस्तुत न करें।
 3. आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्त:-
चयन हेतु पात्र होने के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करना होगा, अर्थात्;
 - (1) वह भारत का नागरिक हो;
 - (2) उम्मीदवार द्वारा दिनांक 01/01/2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो, परन्तु 35 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष तक की छूट की अवधि बढ़ाया गया है, जो कि 31.12.2028 तक के लिए प्रदान की गई है। परन्तु अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के उम्मीदवार/आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।
 - (3) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अन्य विशेष वर्ग जैसे-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, विधवा, निराश्रित एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी। परन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा सभी वर्गों से, सभी शिथिलताओं को सम्मिलित करते हुए भी 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
 - (4) आयु संबंधी प्रमाण के लिए अभ्यर्थी के हाई स्कूल (Matric) अंक सूची (Mark-sheet) अथवा जन्म प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि (Date Of Birth) ही मान्य होगी, अन्य किसी भी दस्तावेज पर विचार नहीं किया जायेगा।
- उच्चतम आयु सीमा में छूट:-** निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी:-
- 3 (एक)(1)-यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।
 - 3 (एक)(2)-यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-25-93/1 आ.प्र. दिनांक 20.01.1994 के अन्तर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।
 - 3 (एक)(3)-छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्ट्रिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
 - 3 (एक)(4)-ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

क्रमशः

स्पष्टीकरण:- छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

3 (एक)(5)-ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3 (एक)(6)-महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी। जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

3 (एक)(7)-शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

3 (एक)(8)-विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

3 (एक)(9)-स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी अधिकतम आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3(एक)(10)-संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 43 वर्ष की आयु सीमा तक होगी।

नोट:- अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सक्षम अधिकारी/नियोजता अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

3(एक)(11)-शारीरिक रूप से अक्षम सेवा योग्य (दृष्टिहीन, श्रवणबाधित तथा अस्थिबाधित के उम्मीदवारों) व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3 (दो)(1)-आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ण सहभागी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

नोट:-आयु सीमा में छूट हेतु सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

3 (दो)(2)-विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं प्रचलित शहीद राजीव गाँडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंडेदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप:-

(1) बिन्दु क्रमांक 3(एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिन्दु क्रमांक 3(दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण:- यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। अन्तर्जातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी।

(3) उपरोक्त 3 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

महत्वपूर्ण:-

1/ यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।

2/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल

छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ही आरक्षित है। ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी हैं, जिनके द्वारा अन्य राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी, उन्हें विज्ञापित पद के विरुद्ध अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचार किया जावेगा, आरक्षित पद के विरुद्ध नहीं।

4. सेवा में नियुक्ति हेतु निरहर्ता:-

(1) कोई व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा यदि वह भारत का नागरिक नहीं है।

(2) कोई व्यक्ति जिसकी/जिसका एक से अधिक पत्नी/पति जीवित हो वह सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

(3) कोई अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा जब तक उसे जिला चिकित्सा बोर्ड/सक्षम चिकित्सकीय प्राधिकारी द्वारा पद पर नियुक्ति हेतु चिकित्सकीय तौर पर स्वस्थ प्रमाणित नहीं किया गया हो। परन्तु यह कि नियुक्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर चिकित्सकीय आरोग्य प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) की प्रस्तुति के अध्याधीन किसी अभ्यर्थी को अनंतिम तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। चिकित्सा बोर्ड द्वारा सेवा हेतु अनुपयुक्त पाए जाने पर अभ्यर्थी की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

(4) अभ्यर्थी की ओर से उसकी अभ्यर्थिता हेतु किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को परीक्षा समिति द्वारा उसकी भर्ती हेतु निरहर्ता मानी जाएगी।

(5) कोई व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा यदि:-

(क) वह किसी विधि-विरुद्ध निकाय अथवा संगठन से जुड़ा हुआ है अथवा उसका सदस्य है या रह चुका है;

अथवा

(ख) ऐसी किसी गतिविधि अथवा कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हो या उनसे जुड़ा हुआ है -

(i) जिसका उद्देश्य भारत के संविधान का विनाश हो;

(i i) जिसका उद्देश्य हिंसा करते हुए विधि का संगठित उल्लेख अथवा विधि का विरोध करना हो;

(i i i) जो भारत की संप्रभुता तथा अखण्डता के हितों तथा राज्य की सुरक्षा के विपरीत हो;

अथवा

(iv) नागरिकों के विभिन्न वर्गों में धर्म, प्रजाति, भाषा, जाति अथवा समुदाय के आधार पर वैमनस्यता अथवा घृणा को बढ़ावा देता हो;

अथवा

(ग) जिसे किसी भी शासकीय सेवा में भविष्य में नियोजन हेतु अयोग्य मानते हुए भारत सरकार अथवा किसी राज्य शासन अथवा माननीय उच्च न्यायालय के अन्तर्गत सेवा से बर्खास्त किया जा चुका हो;

अथवा

(घ) जिसे संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग अथवा किसी उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किसी परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने से विवर्जित अथवा निरर्हित किया गया हो;

अथवा

(ङ) जो नैतिक अद्यमता समाहित किसी अपराध में दोषसिद्धि ठहराया जा चुका हो।

5 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

(1) आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 04/01/2025 की संध्या 4.00 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम एवं वर्ग लिखा हो, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुन्द (छ0ग0), पिन कोड नं.-493445 के पते में रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जा सकते हैं, अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। दिनांक 04/01/2025 की संध्या 4:00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

(2) आवेदन के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत शासकीय सेवकों को छोड़कर), दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक सभी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित (Self Attested) प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा। दस्तावेजों को स्वप्रमाणित नहीं करने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा।

(3) स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 (हिन्दी) एवं सहायक ग्रेड-3 के समकक्ष पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जो स्नातक की परीक्षा ग्रेडिंग सिस्टम से उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें स्नातक में प्राप्त अंक एवं पूर्णांक के संबंध में पृथक से प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक/पूर्णांक का उल्लेख नहीं होने पर स्नातक परीक्षा में प्राप्त ग्रेड के औसत के आधार पर प्राप्तांक की गणना की जावेगी एवं जिस अभ्यर्थी के स्नातक परीक्षा में प्राप्तांक का उल्लेख होगा, उनके स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत के

- आधार पर सूची तैयार की जायेगी, जो कि सर्वमान्य होगा।
- इस संबंध में किसी भी पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार वाहन चालक के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जो कक्षा 8 वीं की परीक्षा ग्रेडिंग सिस्टम में उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें कक्षा 8 वीं में प्राप्त अंक एवं पूर्णांक के संबंध में पृथक से प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक/पूर्णांक का उल्लेख नहीं होने पर कक्षा 08 वीं में प्राप्त ग्रेड के औसत के आधार प्राप्तांक की गणना की जायेगी, एवं जिस अभ्यर्थी के स्नातक परीक्षा में प्राप्तांक का उल्लेख होगा, उनके स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर सूची तैयार की जायेगी, जो कि सर्वमान्य होगा। इस संबंध में किसी भी पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (4) कोरियर, ई-मेल, फैक्स के द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व तथा निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (5) विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन जिला न्यायालय महासमुन्द के वेबसाइट <https://mahasamund.dcourts.gov.in> में किया जा सकता है, तथा विज्ञापन में दिये आवेदन पत्र का प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है।
- (6) कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिये आवेदन करना चाहते हो तो प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र पृथक-पृथक लिफाफा में प्रस्तुत करना होगा। एक ही आवेदन फार्म में दो पदों के लिए किया गया आवेदन मान्य नहीं होगा। बिना हस्ताक्षर एवं बिना फोटो के प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (7) एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक पद के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त अभ्यर्थी के सभी आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (7) आवेदक, आवेदन पत्र पर स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करेगा।
- (8) आवेदक, आवेदन पत्र का सम्पूर्ण, एंटीज नीले बॉल पेन/डॉट पेन से ही करेगा। अन्यथा आवेदन निरस्त किया जायेगा।
- (9) ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख द्वारा प्रदत्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। (अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पश्चात का संलग्न करना होगा।)
- (10) डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों के विलम्ब से प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जवाबदारी इस कार्यालय की नहीं होगी और इस संबंध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।
- (11) विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किये जायेंगे।
- (12) आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है। किसी भी दस्तावेजों के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किये जायेंगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपात्र आवेदनों के संबंध में दावा आपत्ति प्रक्रिया के समय पृथक से कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं किये जायेंगे एवं दावा आपत्ति का निराकरण मूल आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर किया जायेगा। इस संबंध में भर्ती समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा एवं कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।
- (13) त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, अस्पष्ट, बिना हस्ताक्षर एवं बिना फोटो आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा। इसी प्रकार फोटोग्राफ्स एवं दस्तावेज स्वप्रमाणित नहीं होने पर आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा। जिसकी सूचना आवेदक को देने हेतु बाध्यता नहीं रहेगी।
- 6 नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया
- (i) **नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया:-**
- (1) स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 (हिन्दी) एवं सहायक ग्रेड-3 के समकक्ष पद के चयन हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच पश्चात पात्र/अपात्र आवेदनों की सूची तैयार कर, पात्र आवेदनों की संख्या रिक्त पदों की संख्या के दस गुना से ज्यादा होने पर अभ्यर्थियों की संख्या कौशल परीक्षा में सीमित करने के प्रयोजन से उनके स्नातक परीक्षा के प्रतिशत/ग्रेड के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची अनुसार रिक्त पदों के दस गुना तक अभ्यर्थी कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जायेंगे। अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक होने पर कौशल परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवार की संख्या दस गुना से अधिक हो सकती है। कौशल परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर वर्गवार चयन सूची तैयार की जायेगी, और उक्त सूची के अनुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुन्द (छ0ग0) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर चयनित उम्मीदवार की चयन सूची के साथ प्रतीक्षा (अनुपूरक) सूची भी जारी की जायेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।
- (2) कौशल परीक्षा में एक से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता दी जायेगी अर्थात् जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले आयेगा, उनका चयन किया जायेगा।
- (3) स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 (हिन्दी) एवं सहायक ग्रेड-3 के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जायेगा।
- (4) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 29.06.2013 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 13-22/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 24.09.2013 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं प्रारूप- (एक) के अनुसार शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (5) चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय अंकसूची एवं प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (6) चयनित उम्मीदवार को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है, तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया गया है।
- (7) चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जायेगा।
- (8) चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस व्हेरीफिकेशन कराया जायेगा तथा विपरीत प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जायेगा।
- (9) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, अतएव नियुक्ति की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किये जाने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- (10) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द को होगा एवं कर्मचारियों की पदस्थापना तत्समय उपलब्ध पदों के आधार पर की जायेगी। पदस्थापना के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति स्थल पर ही निवास करना आवश्यक होगा।
- (11) चयन प्रक्रिया, चयन एवं नियुक्ति के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द का निष्कर्ष अंतिम एवं बन्धनकारी होगा। कोई अयोग्यता पाये जाने पर किसी भी स्तर पर चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- (i i) **नियुक्ति हेतु चयन विधि:-**
- कौशल परीक्षा**
- स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट क्रम के अनुसार रिक्त पदों के दस गुना उम्मीदवारों को स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 (हिन्दी) एवं सहायक ग्रेड-3 के समकक्ष पद के संबंध में हिन्दी शीघ्रलेखन एवं कम्प्यूटर की कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जायेगा, उम्मीदवारों के स्नातक परीक्षा में एक समान अंक होने पर कौशल के लिए चयनित उम्मीदवार की संख्या दस गुना से अधिक हो सकती है। दो या अधिक उम्मीदवारों द्वारा स्नातक परीक्षा में समान अंक अर्जित करने की दशा में उन सभी को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा। जो अभ्यर्थी कौशल परीक्षा में अनुपस्थित रहेंगे उसे चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा।
- (अ) स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 (हिन्दी) पद हेतु:- कौशल परीक्षा -500 अंक उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 05 मिनट का हिन्दी श्रुत लेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना है। हेडिंग, पैराग्राफ सेटिंग, जस्टीफाई, सेन्टर तथा टाईप की प्रत्येक 1 अशुद्धि पर 1 (एक) अंक काटा जायेगा।
- नोट:-** कम्प्यूटर परीक्षा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम अंतर्गत लिबरे ऑफिस/ओपन ऑफिस एवं Unicode Font (Mangal etc.) में लिया जायेगा।
- (ब) सहायक ग्रेड-3 के समकक्ष पद हेतु:- कौशल परीक्षा -250 अंक उम्मीदवार को 250 शब्दों के हिन्दी एवं अंग्रेजी में गद्यांश जिसमें टेबल एवं अन्य विवरण हो सकते हैं, 15 मिनट की समयावधि में कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। हेडिंग, बोलड, अन्डरलाईन, पैराग्राफ सेटिंग, जस्टीफाई, सेन्टर तथा टाईप की प्रत्येक 1 अशुद्धि पर 1 (एक) अंक काटा जायेगा।
- नोट:-** कम्प्यूटर परीक्षा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम अंतर्गत लिबरे ऑफिस/ओपन ऑफिस एवं Unicode Font (Mangal etc.) में लिया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि:- कौशल परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थी को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा, भले ही उसके शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थी से अधिक क्यों न हो। कौशल परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर चयन हेतु योग्य उम्मीदवारों की श्रेणीवार/वर्गवार तथा अलग से प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी, तथा प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। परंतु ऐसे उम्मीदवारों का कोई अधिकार तब तक नहीं होगा, जब तक कि, नियुक्तिकर्ता अधिकारी का ऐसी जांच के बाद, जो आवश्यक समझी जाए, इस बात से समाधान न हो जाए कि, उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से योग्य है।
- (स) वाहन चालक पद हेतु:- दक्षता/कौशल परीक्षा-50 अंक
- (1) दक्षता/कौशल परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर चयन हेतु योग्य उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी, तथा प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी।



(2) अभ्यर्थियों की संख्या दक्षता/कौशल परीक्षा में सीमित करने के प्रयोजन से उनके कक्षा 8 वीं के प्राप्तांक अथवा आयु अथवा अन्य किसी आधार पर एवं अनुभव पर विचार करते हुए रिक्त पदों के वर्गवार दस गुना आवेदकों को दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु छटनी की जा सकेगी। जिसका पूर्ण अधिकार भर्ती समिति का रहेगा, जो मान्य होगा।

चयन सूची:-दक्षता/कौशल परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर चयन हेतु योग्य उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची तथा प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि:- कौशल परीक्षा/दक्षता कौशल परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थी को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा, भले ही उसके शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थी से अधिक क्यों न हो। कौशल/दक्षता कौशल परीक्षा में अर्जित प्राप्तांकों के आधार पर चयन हेतु योग्य उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी, तथा प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। परंतु ऐसे उम्मीदवारों का कोई अधिकार तब तक नहीं होगा, जब तक कि नियुक्तकर्ता अधिकारी का ऐसी जांच के बाद, जो आवश्यक समझी जाए, इस बात से समाधान न हो जाए कि, उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से योग्य है। कौशल/दक्षता कौशल परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर चयन हेतु योग्य उम्मीदवारों की श्रेणीवार/वर्गवार तथा अलग से प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। उपरोक्त पदों पर चयनित उम्मीदवार की प्रावीण्य सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।

7 अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। पदां हेतु निर्धारित योग्यता विज्ञापन तिथि तक पूर्ण होने चाहिए।

8 अन्य आवश्यक सूचनाएं

- (1) विज्ञापित रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया और नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में प्रस्तुत एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 में पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्वधीन होगा।
- (2) आवेदकों को प्रवेश पत्र अपलोड किये जाने की सूचना एवं कौशल परीक्षा/दक्षता/कौशल परीक्षा की तिथि, समय एवं परीक्षा स्थल की सूचना जिला न्यायालय के वेबसाइट [https:// mahasamund.dcourts.gov.in](https://mahasamund.dcourts.gov.in) एवं सूचना-पटल के माध्यम से दी जावेगी।
- (3) जिला न्यायालय महासमुन्द के वेबसाइट <https:// mahasamund.dcourts.gov.in> में से पात्र आवेदक अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपना अर्हता से संबंधित मूल दस्तावेजों सहित निर्धारित दिनांक एवं समय से एक घंटा पूर्व कौशल परीक्षा/दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे। कौशल/दक्षता परीक्षा के पूर्व दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जावेगी। किसी भी आवेदक को अन्य किसी भी रूप से कौशल परीक्षा एवं दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु सूचना/प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र पृथक से नहीं भेजा जावेगा, इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।
- (4) लिखित/कौशल परीक्षा एवं दक्षता/कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होना होगा। इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का व्यय नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।
- (5) चयन प्रक्रिया के दौरान किसी को भी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी प्रदान नहीं की जायेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त केवल 03 माह तक ही जानकारी प्रदान की जायेगी।

महत्वपूर्ण टीप

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वह आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त योग्यता तथा शर्तों को पूरा करता है। आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को चयन हेतु अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने की दशा में उसका आवेदन पत्र निरस्त कर, उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी। किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई सारवान् जानकारी छुपाना पाये जाने पर उसी नियुक्ति पश्चात भी सेवा समाप्त तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

सही/-
अध्यक्ष
भर्ती चयन समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
महासमुन्द (छ.ग.)

(स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 (हिन्दी)/सहायक ग्रेड-3 के समकक्ष पद/वाहन चालक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु)

अभ्यर्थी का नवीनतम पासपोर्ट साईज का स्वप्रमाणित फोटो

प्रति,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
महासमुन्द (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) (अंग्रेजी के ब्लाक लेटर्स में)
3. लिंग- पुरुष (संकेतांक-1), महिला (संकेतांक-2), अन्य (संकेतांक-3)
4. पिता/पति का नाम
5. अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिन्दी में)
मोबाईल नम्बर-----
- ब) स्थायी पता
मोबाईल नम्बर-----
6. अ) जन्म तिथि - अंको में

--	--	--	--	--	--	--	--

 शब्दों में
ब) दिनांक 01/01/2024 को आयु:- वर्ष माह दिन
7. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है? हां/नहीं
(यदि हां, तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें।)
8. क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हां/नहीं (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
9. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें।
10. क्या आवेदक निःशक्त है? हां/नहीं
(यदि हां, तो निःशक्तता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)
11. दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत
12. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? हां/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)
13. रोजगार कार्यालय का नाम, जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक
14. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता:-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

नोट:-ग्रेडिंग सिस्टम से उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रतिशत का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें।

15. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हां/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)
16. क्या आप निर्धारित आयु सीमा में छूट चाहते हैं? हां/नहीं
17. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:-
1.....2.3.
4.....5.6.

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये समस्त जानकारी मेरी व्यक्तिगत ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण एवं सत्य है। मैंने अपनी शैक्षणिक/ तकनीकी/व्यवसायिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के संबंध में सही-सही पूर्ण विवरण दिया है। उपरोक्त जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी /नियुक्ति चयन प्रक्रिया अथवा नियुक्ति उपरोक्त किसी भी समय समाप्त/निरस्त की जा सकेगी।

दिनांक
स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम एवं पूरा पता -----
एवं मोबाईल नम्बर-----

आर.ओ.210/जी-242504581.4



कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ०ग०)

Phone & Fax No. 07856-252237 E-Mail-ddvsdant.cg@nic.in

क्रमांक/ 2659/प०चि०/प०पा/2024-25

दन्तेवाड़ा दिनांक 09.12.2024

कार्यालय, कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा का प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक/ 240165030213 / दिनांक 23.08.2024 के परिपालन में कार्यालय उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ०ग०) के स्थापनान्तर्गत शल्यक्रिया कक्ष एवं डायग्नोस्टिक सुविधा कक्ष के अन्तर्गत एक्स-रे आपरेटर की पर एक मुश्त वेतन राशि रू० 18,000/- प्रतिमाह पर 1 वर्ष हेतु संविदा के भर्ती हेतु पात्रता रखने वाले आवेदकों से मूल प्रमाण पत्र सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आवेदन पत्र दिनांक 31/ 12/2024 तक आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र	पद नाम	स्वी.	कार्यरत	रिक्त पदों की संख्या	एकमुश्त वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4	5	6	7
1	एक्स-रे आपरेटर	01	00	01	18000/-	1. 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण (विज्ञान विषयों के साथ) 2. बीएससी (मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी), बीएससी (रेडियोग्राफी), या समकक्ष डिग्री

आवश्यक शैक्षणिक योग्यता

- एक्स-रे आपरेटर (01) पद हेतु-
- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से 10+2 बायोलॉजी विषय से उत्तीर्ण एवं दो वर्षीय डिप्लोमा।
- बीएससी (मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी), बीएससी (रेडियोग्राफी), या समकक्ष डिग्री शर्तें एवं चयन प्रक्रिया:-
- उक्त पदों पर 01 वर्ष के लिये संविदा नियुक्ति दी जावेगी एवं मानदेय रू० 18,000/- मात्र एकमुश्त देय होगा।
- दन्तेवाड़ा जिले के मूल निवासी को ही प्राथमिकता दी जावेगी एवं जिले में योग्य उम्मीदवार नही होने की स्थिति में अन्य जिले की उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार की जा सकेगा।
- जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन अनिवार्य होगा।
- शैक्षणिक योग्यता एवं समकक्ष कार्य के अनुभव के आधार पर आवेदकों का चयन किया जावेगा।
- उक्त नियुक्तियां कलेक्टर द्वारा गठित समिति के माध्यम से किया जावेगा, शासकीय नियंत्रण जिला स्तर पर उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला दन्तेवाड़ा होंगे।
- प्रतीक्षा सूची वैधता 01 वर्ष की होगी इस समयवाधि में स्वीकृत नये पद अथवा त्याग पत्र या किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को इसी प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा।
- छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के कण्डिका 15 की अन्य शर्तें लागू होगी।
- नियुक्ति शर्तों में शिलिलीकरण का अधिकार जिला समिति को होगा।
- आवेदन पत्र के साथ 5/- का टिकट सहित दो लिफाफा एवं समस्त दस्तावेजों को अच्छी तरह से नस्तीबद्ध किया जावे तथा पृष्ठ क्रमांक भी अंकित करें, आवेदन पत्र निर्धारित क्रम में ही व्यवस्थित रखें जैसे- (1. आवेदन पत्र, 2. शैक्षणिक योग्यता, 3. अनुभव प्रमाण पत्र, 4. निवास प्रमाण पत्र, 5. जाति प्रमाण पत्र, 6. रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, 7. अन्य प्रमाण पत्र 8. लिफाफा)।
- आवेदन पत्र के उपर आवेदित पद का पदनाम / जाति वर्ग एवं स्वयं का पता स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे।
- अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो राजपत्रित अधिकारी/स्वयं के द्वारा सत्यापित कर चिपकाना होगा। एवं आवश्यक प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
- प्रशासकीय कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में घटाया बढ़ाया जा सकता है या निरस्त भी किया जा सकता है।
- शासकीय/अर्धशासकीय संस्था एवं निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को उन संस्थाओं के नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा आवेदन विचारणीय नही होगा।
- दिनांक 01.01.2025 की स्थिति में न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए, शासन द्वारा समय समय पर आयु सीमा में दी गई छूट का प्रवाधान होगा।
- अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटि पूर्ण आवेदन पत्र के सम्बन्ध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी

जावेगी। प्रत्येक आवेदकों को चाहिए कि विज्ञापन में दिये गये दिशा निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर एवं सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

- भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी की भी विवाद पर अंतिम निर्णय लेने का सर्व अधिकार अध्यक्ष, चयन समिति जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा का होगा।
- जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के वेबसाईट www.dantewada.nic.in में अवलोकन किया जा सकता है।

उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें,
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

आवेदन पत्र प्रारूप

प्रति,

कलेक्टर,
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
आवेदित पद का नाम.....

आवेदक पासपोर्ट
साईज का फोटो
अभिप्रमाणित कर
चस्पा करें।

- आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में) :-----
(अंग्रेजी में) :-----
- पिता/पति का नाम :-----
- जाति :-----
- जन्म तिथि :-----
- आयु दिनांक 01.12.2024 : वर्ष-----माह-----दिन-----
(प्रमाण पत्र/अंकसूची की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
- पत्र व्यवहार का पता :-----
- स्थायी पता :-----
- रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक:.....दिनांक.....
(सत्यापित छाया प्रति)
- क्या आवेदक आयु सीमा में छूट चाहते हैं यदि हां:-----
तो किस श्रेणी से उल्लेख करें।
- क्या आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी है :-----
यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
- क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति/
अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है हां/नही यदि हां तो समक्ष अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र
की सत्यापित प्रति संलग्न करें। :-----
- क्या आवेदक विकलांग है :-----
- यदि हां तो विकलांग का प्रकार एवं प्रतिशत:-----
(मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
- क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है हां / नही :-----
यदि हां तो समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें
- क्या आवेदक विवाहित है? हां / नही
यदि हां तो विवाह की तिथि :-----
- जीवित बच्चों की संख्या एवं जन्मतिथि :-----
- शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता:-----

क्रमांक	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत

- क्या आवेदक शासकीय / अर्धशासकीय संस्थान में सेवारत है? हां/नही यदि हां तो समक्ष क्रमशः

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ0ग0)

ई-मेल: employment.dantewada@gmail.com कार्यालय दूरभाष नं 07856-252520

दिनांक 19/12/2024 दिन गुरुवार को कार्यालय जिला रोजगार एवं स्व रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दंतेवाड़ा में प्रातः 11:00 बजे से शाम 03:00 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। प्लेसमेंट कैम्प हेतु निम्नानुसार रिक्तियां प्राप्त हुई हैं, इच्छुक आवेदक/आवेदिका प्रातः 11:00 से 03:00 बजे तक निर्धारित स्थल पर अपनी समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों की मूल प्रतियां, एक-सेट छायाप्रतियां, एक पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित, उपस्थित होकर अवसर का लाभ ले सकते हैं। यह आयोजन पूर्णतः निःशुल्क है।

रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

स क्र	संस्था का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता	आयु	वेतन/अनुभव	पदस्थापना	क्या महिलाएँ पात्र हैं	रिमार्क
1	Akshara Enterprise New Rajendra nagar Raipur	Network Engineer	50	BCA, MCA, Bsc-IT, Msc II 60% Mark/ 1year Experience	21 से 35 वर्ष	12700-16000/-	जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर	हाँ	Walk in Interview

जिला रोजगार अधिकारी
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ0ग0)

कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

ब्लाक-5 डी, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

Phone No. 0771-2263708, Fax No.-2262558, www.tribal.cg.gov.in,

Email-eklavya.ctd@gmail.com

क्रमांक/EMRS/456-पार्ट/2024-25/9915

नवा रायपुर, दिनांक 10/12/2024

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन तिथि में संशोधन सूचना

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली अंतर्गत गठित राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित एवं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षण सत्र 2025-26 में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन वेबसाइट <http://eklavya.cg.nic.in> पर दिनांक 11 नवंबर 2024 से पंजीयन प्रारंभ कर दिनांक 19.01.2025 को प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन किया जाना था।

उपरोक्त परीक्षा अपरिहार्य कारणों से दिनांक 16.02.2025 को आयोजित किया जाना है। प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की संशोधित तिथि निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	पूर्व की तिथि	संशोधित तिथि
1	ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि	दिनांक 10 दिसम्बर 2024 तक	दिनांक 31 दिसम्बर 2024 तक
2	ऑनलाइन भरे गये फॉर्म में त्रुटि सुधार की तिथि	दिनांक 11 से 19 दिसम्बर 2024 (रात्रि 11:59 बजे तक)	दिनांक 01 से 08 जनवरी 2025 (रात्रि 11:59 बजे तक)
3	प्रवेश परीक्षा की तिथि	दिनांक 19 जनवरी 2025 दिन-रविवार	दिनांक 16 फरवरी 2025 दिन -रविवार

(नरेन्द्र कुमार दुग्गा)

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

अटल नगर, नवा रायपुर, छ.ग.

आर.ओ.205/जी-242504514.5

(पिछले पृष्ठ का शेष)

अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें:

- वर्तमान तथा पूर्व नौकरी का विवरण यदि हां तो :-
- अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें,
- क्या आवेदक/आवेदिका के विरुद्ध कोई दण्डित प्रकरण थाने किसी थाने / न्यायालय में अनुसंधान / विचारण हेतु लंबित है अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें :-
- संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:-
 - 1-----
 - 2-----
 - 3-----
 - 4-----
 - 5-----
 - 6-----
 - 7-----
 - 8-----

कुल सहपत्रों की संख्या :-

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर
पूरा नाम-----

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण सही है। यदि उपर्युक्त विवरण का कोई अंश असत्य पाया जाता है, तो नियुक्ति के पश्चात् भी सक्षम अधिकारी द्वारा मेरी उम्मीदवारी निरस्त किये जाने/सेवा समाप्त किये जाने अथवा किसी भी दण्ड, जो वह उचित समझे के लिये मैं उत्तरदायी रहूंगा/ रहूंगी।

दिनांक-----

स्थान-----

आर.ओ.206/जी-24250449.4

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

पूरा नाम-----

संचालनालय महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-1, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर

दूरभाष क्रमांक 0771-2234192, 2234188 (Fax) email: dirwcd.cg@nic.in

क्रमांक 11300/ मबावि/मसमि/2024-25

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12/12/2024

मिशन शक्ति अंतर्गत महिला हेल्पलाइन 181 के राज्य के जिला मुख्यालय रायपुर में विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में विज्ञापन

महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित मिशन शक्ति योजना के तहत महिला हेल्पलाइन 181 के संचालन हेतु जारी राज्य मुख्यालय रायपुर में विभिन्न पदों पर एकमुश्त / संविदा मासिक वेतन पर भर्ती के लिये पात्र आवेदकों से आवेदन पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से दिनांक 10.01.2025 सायं 05:00 बजे तक आमंत्रित हैं। आवेदन संचालनालय महिला एवं बाल विकास, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक 01 द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर को प्रेषित करना होगा। पदों की नियुक्ति एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त / संविदा मासिक वेतन	चयन प्रक्रिया
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग		
1	हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर (महिला पद)	01	0	0	0	01	45,000/-	सीधी भर्ती एकमुश्त वेतन/ संविदा वेतन
2	कॉल ऑपरेटर (महिला पद)	05	04	01	02	12	20,000/-	
3	आईटी सुपरवाइजर	01	0	0	0	01	25,000/-	
4	मल्टी-पर्सनल-स्टाफ	01	01	0	01	03	15,000/-	
5	सिक्युरिटी गार्ड/नाईट गार्ड	01	01	0	01	03	12,000/-	

* सरल क्र० 01 एवं 02 के पद महिला पद है। उक्त पद हेतु महिला उम्मीदवार ही आवेदन करें।

* छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा पर छूट हेतु जारी निर्देश लागू माने जायेंगे।

आवेदन प्रपत्र तथा पद क्रमांक 1 से 5 तक के पदों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, कार्य दायित्व एवं अन्य विवरण -www.cgstate.gov.in and www.cgwcd.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है :-

विज्ञापन में दिये प्रारूप अनुसार टंकित कराया जाकर निर्धारित प्रारूप में भरे हुए आवेदन पत्र डाक/कूरियर द्वारा दिनांक 10.01.2025 की संध्या 5:00 बजे तक संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-1, द्वितीय तल नया रायपुर 492002 को प्रेषित किये जावे।

महिला हेल्पलाइन 181 के पदों पर चयन हेतु योग्यता, वेतन भत्ते सुविधाएं, आर्हताएं एवं अन्य नियम व शर्तें

अन्य नियम व शर्तें

1. विज्ञापित पदों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त / संविदा मासिक वेतन	चयन प्रक्रिया
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग		
1	हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर (महिला पद)	01	0	0	0	01	45,000/-	सीधी भर्ती एकमुश्त वेतन/ संविदा वेतन
2	कॉल ऑपरेटर (महिला पद)	05	04	01	02	12	20,000/-	
3	आईटी सुपरवाइजर	01	0	0	0	01	25,000/-	
4	मल्टी-पर्सनल-स्टाफ	01	01	0	01	03	15,000/-	
5	सिक्युरिटी गार्ड/नाईट गार्ड	01	01	0	01	03	12,000/-	

2. इन पदों पर शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव का विवरण-

क्र.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता	कार्य दायित्व
1	हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर (महिला पद)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि / सामाजिक कार्य / समाजशास्त्र / सामाजिक विज्ञान/ मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं एम.एस. ऑफिस में कार्य करने की क्षमता	ऐसी महिला, जिसके पास किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय / गैर सरकारी संगठन के साथ प्रशासनिक ढांचे में महिलाओं से संबंधित प्रासंगिक महिलाओं एवं संबंधित हेल्पलाइन/कॉल सेंटर/ महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित संस्थान में प्रबंधकीय कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो और अधिमानतः उसी ढांचे के भीतर या बाहर परामर्श का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव हो।	वह स्थानीय समुदाय की निवासी होनी चाहिए ताकि केंद्र के प्रभावी संचालन के लिए स्थानीय मानव संसाधन और विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सके।	हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर महिला हेल्पलाइन के समग्र संचालन के लिए प्रभारी होंगे। हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक कॉल के प्रति त्वरित और सार्थक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेंगे। किसी भी चल रही कॉल के लिए जिम्मेदार होंगे और उसमें हस्तक्षेप करेंगे (यदि आवश्यक हो)। प्रत्येक प्रकरणों की निगरानी करेंगी, उसे तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएगी और बाद में पीड़ित महिला से फॉलोअप करेंगी। संबंधित एजेंसियों/ संस्थाओं के साथ प्रभावी तालमेल सुनिश्चित करना। सहयोग प्रदान करने वाली राज्य एजेंसियों से संबंधित मुद्दों के निवारण हेतु संबंधित जिला / संचालनालय महिला एवं बाल विकास के सहयोग से कार्य निष्पादित करेंगी। टीम के लिए कार्यक्रम बनाने और टीम का प्रबंधन इस तरह से करने के लिए जिम्मेदार होगी कि हेल्पलाइन सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे सक्रिय रहे। दैनिक, साप्ताहिक और मासिक रिपोर्ट तैयार करने और आवधिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगी। महिला संरक्षण और महिला अधिकारों से संबंधित प्रासंगिक राज्य और निजी प्राधिकरणों / संस्थाओं/ व्यक्तियों के बारे में जानकारी युक्त संसाधन निर्देशिका तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगी। महिला हेल्पलाइन और विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच अच्छी कार्य संस्कृति बनाने के लिए बैठक आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगी। महिला हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समुदाय के भीतर जागरूकता सृजन गतिविधियों का आयोजन करेंगी। महिला हेल्पलाइन के कामकाज की निगरानी करेंगी, कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगी, क्षमता निर्माण में सहायता करेंगी, टीम के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेंगी। महिला हेल्पलाइन टीम के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगी और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित जिला/संचालनालय महिला एवं बाल विकास को रिपोर्ट करेंगी।
2	कॉल ऑपरेटर (महिला पद)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री।	हिन्दी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी भाषा में अच्छा संवाद कौशल हो।	ऐसा महिला जिसके पास हिन्दी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में अच्छा संचार कौशल हो और दूरसंचार / वेब आधारित प्रासंगिक प्रणालियों पर काम करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव हो।	आपातकालीन हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दिया जायेगा।	कॉल ऑपरेटर कॉल अटेंड करेंगी, प्राथमिक रेफरल करेंगी, डेटा एंट्री करेंगी और गंभीर प्रकरणों तथा ऐसे ऐसे प्रकरणों को हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर को भेजेंगी, जिनमें प्रथम बिंदु परामर्श की आवश्यकता है। महिला सुरक्षा तथा महिला अधिकारों से संबंधित सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगी। उपयुक्त किसी भी योजना या कार्यक्रम के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेंगी तथा उन्हें उस तक पहुंचने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन देंगी। छूटे हुए कॉल पर पुनः कॉल करने में हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर की सहायता करेंगी। हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगी। कॉल ऑपरेटर को 24 X 7 (24 घण्टे) ड्यूटी रोस्टर अनुसार 03 अलग-अलग शिफ्टों में कार्य करना होगा।
3	आईटी सुपरवाइजर	कम्प्यूटर/ सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या अन्य विषय में स्नातक होने पर कम्प्यूटर/ सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा।	डाटा प्रबंधन प्रक्रिया प्रलेखन एवं वेब आधारित रिपोर्टिंग/ शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्थाओं में आईटी आधारित संस्थाओं में जिला स्तरीय/ राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचालन क्षमता हो।	ऐसे आवेदक को डेटा प्रबंधन प्रक्रिया प्रलेखन/ दस्तावेजीकरण / और वेब-आधारित रिपोर्टिंग प्रारूपों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य या जिला स्तर पर शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ आईटी आधारित संगठनों में न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव हो।	आपातकालीन हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दिया जायेगा।	आईटी सुपरवाइजर महिला हेल्पलाइन 181 के तकनीकी पहलुओं को करेगा/ करेगी और यह सुनिश्चित करेगा/ करेगी कि महिला हेल्पलाइन 24 घण्टे क्रियाशील रहे। सृजित आंकड़ों के संबंध में गोपनीयता बनाए रखने के लिए सख्त कार्यवाही का पालन करेगा/ करेगी और यह सुनिश्चित करेगा/ करेगी कि केस इतिहास दस्तावेजीकरण के प्रत्येक चरण में पीड़ित महिला का नाम और अन्य विवरण गोपनीय हैं। एमआईएस (मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम) वेब आधारित डेटा संग्रह के आधार पर दैनिक/ मासिक / त्रैमासिक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करेगी जिस प्रस्तुत करने के लिए हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर के स्तर पर अनुमोदित किया जाएगा। हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर की सहायता से महिला सुरक्षा से संबंधित राज्य और निजी प्राधिकरणों / संस्थाओं/ व्यक्तियों के बारे में जानकारी वाली संसाधन निर्देशिका तैयार करेगा/ करेगी।
4	मल्टी-पर्सनल-स्टाफ (बहु उद्देशीय कार्यकर्ता)	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास हो		शासकीय/ अर्द्धशासकीय संगठन में मूल्य/ क्लीनर आदि के रूप में काम करने का 02 साल का अनुभव।		हेल्पलाइन में स्वच्छता और सफाई बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगी। महिला हेल्पलाइन में हाउस कीपिंग के लिए जिम्मेदार होगा/ होगी। मल्टी-पर्सनल-स्टाफ (बहुउद्देशीय कार्यकर्ता) को 24 X 7 (24 घण्टे) ड्यूटी रोस्टर अनुसार 03 अलग-अलग शिफ्टों में कार्य करना होगा/ होगी।
5	सुरक्षा गार्ड / रात्रिकालीन गार्ड	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं पास हो		जिला/राज्य स्तर पर किसी सरकारी या प्रतिष्ठित संगठन में सुरक्षा कर्मी के रूप में काम करने का कम से कम 02 साल का अनुभव हो।	सेवा निवृत्त मिलेट्री / पैरा मिलेट्री आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।	हेल्पलाइन केंद्र की समग्र सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगी। महिला हेल्पलाइन में सभी पूंजीगत परिसंपत्तियों, फर्नीचर और उपकरणों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा/ होगी। सुरक्षा गार्ड / रात्रिकालीन गार्ड को 24 X 7 (24 घण्टे) ड्यूटी रोस्टर अनुसार 03 अलग-अलग शिफ्टों में कार्य करना होगा / होगी।

क्रमशः



शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।

उपरोक्त उल्लेखित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार आवेदन ना करें।

3. आयु सीमा -

3.1 उपरोक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2024 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3.2 आयु के सत्यापन / समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 8वीं, 10वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।

4. **निवास-** पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण-पत्र ही मान्य किए जावेंगे।

5. **पदों हेतु आरक्षण-** आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6. चयनित अभ्यर्थी को चयन किए जाने के पश्चात् 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेंगी।

7. महिला हेल्पलाइन अत्यंत संवेदनशील प्रकृति का कार्य है, अतः चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तदसंबंधी प्रमाण पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

8. महिला हेल्पलाइन के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीड़ितों की गोपनीयता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यर्थी को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय, पीड़ितों/प्रकरणों से संबंधित विषयवस्तु एवं डाटा की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाए जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

9. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50 के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

11. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित / सत्यापित होना चाहिए।

12. अनुभव के संबंध में निर्देश-

12.1 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित / सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।

12.2 आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी संचालक का निर्णय ही अंतिम होगा।

12.3 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

12.4 शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

13. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।

14. प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।

15. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के

अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

16. उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक इन इंटरव्यू कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी।

17. आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथि तक स्वीकार किए जाएंगे।

18. कौशल परीक्षा/वॉक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

19. योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।

20. इन पदों पर नियुक्त कर्मी को एकमुश्त / संविदा वेतन ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा।

21. इन कर्मियों को अवकाश सुविधा की पात्रता संविदा नियम 2012 (यथा संशोधित समय समय पर) अनुसार ही देय होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।

22. उपरोक्त कर्मचारियों के संविदा वेतन भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किए जाने पर इन्हें वृद्धि अनुसार ही संविदा वेतन दिया जावेगा।

23. नियुक्ति प्रक्रिया महिला हेल्पलाइन 181 (WHL) अंतर्गत स्वीकृत होने वाले सभी 20 पदों के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी, संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग होंगे।

23.1 राज्य महिला सशक्तिकरण केन्द्र (SHEW) हेतु संचालनालय स्तर पर गठित होने वाली चयन समिति ही WHL के लिए भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित मापदंड के अनुसार चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा संचालक को अनुशंसा करेगी।

23.2 समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु/भर्ती मापदंड (मैरिट) एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम विज्ञापन आमंत्रित किया जाएगा। भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार किया जायेगा। आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे-

23.3 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।

23.4 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 10 अंक।

23.5 राज्य के महिला हेल्पलाइन या चाईल्ड हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।

23.6 उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।

23.7 वॉक इन इंटरव्यू / कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा/बोली का ज्ञान होना आवश्यक है। वॉक इन इंटरव्यू के दौरान इस आधार पर भी मापदंड रखा जाएगा।

23.8 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

23.9 समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 7 के उप कंडिका 7.3, 7.4 एवं 7.5 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:5 या 1:10 के रेशियो में, जैसा चयन समिति उचित समझे वॉक-इन-इंटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची संचालक को प्रेषित की जाएगी एवं संचालक द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।

24. नियुक्ति की अवधि :-

24.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में एकमुश्त / संविदा वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्ति किया जाएगा तथा तपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए संचालक द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा सेवा अवधि की समाप्ति पर अवधि न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

24.2 चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है। कार्य अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

कार्यालय आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

ब्लॉक-डी, भू-तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

Phone No. 0771-2263708, Fax No.-2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email-ctd.cg@nic.in,

क्रमांक/133/रा.यु.उ.यो./2024-25/9389

नवा रायपुर दिनांक 03/12/2024

राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग जिला बिलासपुर में कराने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रण वर्ष 2024-25

राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 के भाग (B) के समान छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी जिला बिलासपुर में कराने हेतु निजी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है।

(1) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 23.12.2024, सायं 4.00 बजे तक

(2) आवेदन जमा करने का स्थान

संभागीय मुख्यालय के कार्यालय सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास जिला रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/ सरगुजा /
दुर्ग में जमा कर सकते हैं।

(1) प्रशिक्षण की अवधि- कोचिंग की अवधि अधिकतम 01 वर्ष होगी। इस प्रशिक्षण अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु कोचिंग प्रदान किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु चयनित होने पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु कोचिंग प्रदान किया जायेगा, जिसका व्यय योजना से वहन किया जायेगा।

(2) कोचिंग का स्थान- चयनित संस्था द्वारा कोचिंग का कार्य जिला बिलासपुर मुख्यालय में सम्पन्न कराया जायेगा।

(3) योजना अंतर्गत निर्धारित सीट- कुल 100 सीट (ST-50%, SC-30%, OBC-20%) (प्रत्येक वर्ग में 33% महिलाओं के लिये आरक्षित)।

(4) निवास तथा जाति संबंधी पात्रता -

- आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाई जाति प्रमाण पत्र धारक हो।
- आवेदक भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित है अथवा नहीं, यह सिद्ध करने का दायित्व आवेदक का होगा एवं यदि इस संबंध में आवेदक द्वारा गलत विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो उसे इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।

(5) आयु- 01.01.2024 को न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।

(6) शैक्षणिक योग्यता- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / कॉलेज से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।

(7) आय ऐसे आवेदक जिनकी स्वयं की आय या माता-पिता/पालक की आय रू. 3.00 लाख वार्षिक तक है, वे योजनांतर्गत संचालित प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(8) ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी शासकीय सेवा में कार्यरत हों, वे इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे।

(9) चयनित अभ्यर्थियों को योजना का लाभ केवल एक बार ही दिया जायेगा।

(10) आवेदन जमा करना- अभ्यर्थी संभागीय मुख्यालय के कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला रायपुर / बिलासपुर / जगदलपुर/सरगुजा / दुर्ग में आवेदन जमा कर सकते हैं।

(11) प्राक्चयन परीक्षा का स्वरूप- प्राप्त आवेदन में पात्र अभ्यर्थियों से वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय (Objective type) प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र 2:30 घंटे का होगा, जिसमें 125 प्रश्न

पूछे जा सकेंगे। (प्रश्न पत्र छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न के अनुरूप होगा)

(12) चयन- अभ्यर्थियों का चयन प्राक्चयन परीक्षा के मेरिट के आधार पर किया जायेगा।

(13) आवेदन पत्रों का भरा जाना- आवेदक का कर्तव्य होगा कि वह आवेदन पत्र में चाही गई समस्त जानकारी सही-सही देवे एवं संबंधित अभिलेख स्वयं के द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करें। अपूर्ण आवेदन एवं दस्तावेज पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जायेगा।

(14) छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन के माध्यम से चयनित संस्था द्वारा शासन के निर्देशानुसार ही किया जायेगा।

(15) विस्तृत विवरण- योजना के संबंध में विस्तृत विवरण तथा राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 विभागीय वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in पर उपलब्ध हैं, जिसका अवलोकन किया जा सकता है। उक्त योजना का संचालन राजीव युवा उत्थान नियमावली वर्ष 2019 के अधीन होगा।

(16) अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन शासन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के अधीन होगा।

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छ०ग० नवा रायपुर द्वारा संचालित
छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास,
जिला -रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा एवं दुर्ग (छ०ग०)।

अभ्यर्थी का
पासपोर्ट
साइज फोटो

कार्यालयीन उपयोग हेतु

आवेदन पत्र क्र..... अनुक्रमांक.....

क्र.	विवरण	जानकारी
01	आवेदक का पूरा नाम(हिन्दी में) (अंग्रेजी में)	
02	पिता/पति का नाम	
03	पुरुष/महिला	
04	पता, पिन कोड सहित (पुनः नाम न लिखें)	
05	छ०ग० का मूल निवासी है (हाँ/नहीं) (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
06	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र(ST/SC/OBC) (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	
07	जन्म तिथि(दिनांक 01.01.2024 की स्थिति में आयु)	वर्ष.....माह.....दिन.....
08	क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में है(यदि हां तो किस पद पर किस कार्यालय में पदस्थ है)	
09	आवेदक के पिता का व्यवसाय(यदि शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा अशासकीय सेवा में है तो कार्यालय एवं पद का नाम)	
10	आवेदक की माता का व्यवसाय(यदि शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा अशासकीय सेवा में है तो कार्यालय एवं पद का नाम)	
11	परिवार की सभी स्त्रोतों से कुल आय (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
12	मोबाईल नं.	

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)

प्लेसमेंट कैम्प दिनांक 23.12.2024 दिन सोमवार

स्थल- जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (टीकरकला-गौरेला)

S.No	Employer Name & Add	Designation	Educational Qualification	Salary (Rs per month)	Male/Female	Age Limit	Place of Posting	Experience And Other Eligibility Criteria	No. Of Vacancies
1	M/s Green Agritech Solution. HIG 1st D-19 Abhilasa Pariser New Bus Stand Bilaspur (C.G.)	Field Officer	12th-PG	9,500-19,500/-	Male	19-32 yr.	Kawardha, Bemetara, khairagarh	-	23
		B.D.O.	12th-PG	9,500-19,500/-	Male	19-32 yr.		-	15
TOTAL									38

(पिछले पृष्ठ का शेष)

क्रमांक	विवरण	कक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक का प्रतिशत
13	शैक्षणिक योग्यता (स्वयं के सत्यापित अंक सूची संलग्न करें)	हायर सेकेण्ड्री स्नातक परीक्षा		
14	पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण किया हो तो उसका विवरण	प्रारंभिक परीक्षा वर्ष/रोल नंबर	उत्तीर्ण वर्ष/रोल नंबर	मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष/रोल नंबर
15	क्या आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु युवा कैरियर निर्माण योजना/राजीव युवा उत्थान योजना के तहत पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त किया है (हाँ/नहीं)			

घोषणा पत्र

मेरे द्वारा उपरोक्तानुसार कंडिका 01 से 15 तक में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास के आधार पर सही है। यदि उक्त जानकारी गलत / त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर मेरे विरुद्ध की जाने वाली दण्डात्मक कार्यवाही के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

दिनांक _____ अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
नाम _____

आय हेतु स्वघोषणा प्रमाण पत्र

(10 रु. के नॉन ज्युडिशियल स्टॉप पेपर पर प्रस्तुत किया जाए) (अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अ.पि.व. वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए वर्ष 2024-25)

मैं-----पिता-----उम्र-----
-----निवासी-----ग्राम-----वि.खं-----

जिला----- यह शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ -

1. मैंने आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास की राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा हेतु आवेदन किया है।

2. मैं छ.ग. राज्य द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य हूँ एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मेरे पास है।

3. मैं छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हूँ।

4. (i) आवेदक की कुल वार्षिक आय -----
(ii) पिता की आय (यदि शासकीय सेवक है तो)-----
(ii) माता की आय (यदि शासकीय सेवक है तो)-----
(iv) पिता यदि अन्य व्यवसाय में है, तो आय-----
(v) परिवार की कृषि से आय-----
(vi) कुल आय-----

5. मेरे परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय----- है।

उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से 5 की जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास में सही है। यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो, मेरे विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

पालक के हस्ताक्षर _____ आवेदक के हस्ताक्षर
नाम-----
दिनांक-----

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

क्रमांक/4512/39/विज्ञापन/2024

नवा रायपुर, दिनांक: 10/12/2024

:: शुद्धि पत्र ::

शुद्धि पत्र क्रमांक 01/2024/परीक्षा/दिनांक 10/12/2024

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग/ प्लाटून कमाण्डर गृह (पुलिस) विभाग) के 341 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 02/2024/परीक्षा/ दिनांक 21/10/2024 जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि दिनांक 23/10/2024 से 21/11/2024 तक निर्धारित की गई थी।

छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 2-3/2024/रापुसे/गृह-दो दिनांक 10/12/2024 के अनुसार छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2021 के 8[3] (क) एवं (ख) में ऊबाई एवं सीने के माप में छूट शिथिलीकरण की स्वीकृति केवल एक बार के लिए दी गई है, अतः विज्ञापन की कंडिका 02 (v) (क) एवं (ख) के अंत में क्रमशः निम्न कंडिकाएँ जोड़ी जाती हैं:-

* न्यूनतम ऊंचाई 163 सेमी. (केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिये)।

* सीना बिना फुलाये 78 सेमी, एवं फुलाने पर 83 सेमी. (केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिये)।

विज्ञापन क्रमांक 02/2024/परीक्षा/ दिनांक 21/10/2024 की शेष समस्त शर्तें कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

उक्त आधार पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि को समस्त आवेदकों हेतु संशोधित किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन करने की संशोधित तिथि दिनांक 11/12/2024 मध्याह्न: 12:00 बजे से 25/12/2024 रात्रि 11:59 बजे तक नियत की जाती है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार दिनांक 26/12/2024 मध्याह्न: 12:00 बजे से 27/12/2024 रात्रि 11:59 बजे तक तथा सशुल्क त्रुटि सुधार दिनांक 28/12/2024 मध्याह्न: 12:00 बजे से 29/12/2024 रात्रि 11:59 बजे तक किए जा सकेंगे। जो आवेदक पूर्व में ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। त्रुटि सुधार अवधि में सभी अभ्यर्थी आवश्यकता होने पर अपने आवेदन में त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

सही- सचिव

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नवा रायपुर अटल नगर

आर.ओ.208/जी-242504512.3

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) जिला सक्ती (छ.ग.)

क्र./1140/मबावि/स्था. /2024-25

सक्ती, दिनांक 11/11/2024

मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र (Hub for Empowerment of Women)

के संचालन हेतु संविदा स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्बेला योजना "मिशन शक्ति" की शुरुआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत राज्य में राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र हब (SHEW) एवं प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र, हब (DHEW) स्थापित किया गया है। मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय हब हेतु जिले में 08 संविदा पदों की पूर्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त है। आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 20 दिसंबर 2024 है, विज्ञापित पद निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	जिले में स्वीकृत पदों की संख्या					वेतन मैट्रिक्स लेवल	निर्धारित एकमुस्त / संविदा मासिक वेतन
		अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.जा.	अपिव	योग		
01	जिला मिशन समन्वयक	01	0	0	0	01	10	31450/-
02	जेण्डर विशेषज्ञ	01	0	01	0	02	8	25780/-
03	वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ	01	0	01	0	02	7	20900/-
04	कार्यालय सहायक	01	0	0	0	01	6	18420/-
05	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर PPMVY	01	0	0	0	01	4	14200/-
6	मल्टी टास्क स्टाफ	01	0	0	0	01	2	11720/-
	योग	06	0	02	0	08		

चयन हेतु आवश्यक शर्तें:-

01 आयु सीमा-

- जिला मिशन समन्वयक तथा जेण्डर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2023 को 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी किंतु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- शेष अन्य सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2023 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी। किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- आयु के सत्यापन / समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 8 वीं, 10 वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
- जिला मिशन समन्वयक तथा जेण्डर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ तथा वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को, इन पदों हेतु 02 पद बोनस अंक दिया जाएगा।
- शेष पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किए जावेंगे।
- आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रु. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन को इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी / स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित / सत्यापित होना चाहिए।
- केवल शासकीय / अर्द्धशासकीय / गैर सरकारी संगठन संस्थाओं द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। गैर सरकारी संगठन का अनुभव प्रमाण पत्र केवल सक्षम / नियंत्रणकर्ता शासकीय अधिकारी के जारी किये जाने पर ही मान्य किया जावेगा।
- अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियुक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक

कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित / सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे। अतः नियुक्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

- पद क्रमांक 1, 2, 3, 4 के लिए न्यूनतम 03 वर्ष का कार्यानुभव होना एवं पद क्रमांक 06 के लिए न्यूनतम 02 वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है।
- आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय ही अंतिम होगा।
- किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
- शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियुक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
- अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।
- प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा। लिफाफे के उपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए। आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रुपये का टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा भी संलग्न करे।
- आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
- उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर वरीयता तैयार करते हुए कौशल परीक्षा (आवश्यक हो तो) के आधार पर ययन की प्रक्रिया की जायेगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी। केवल विशेष प्रकरण में योग्य आवेदक न मिलने पर ही कलेक्टर के अनुमति के उपरांत ही अनिवार्य न्यूनतम अनुभव में शिथिलता दी जा सकेगी।
- आवेदन पत्र दिनांक 20 दिसंबर 2024 तक कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, रीपा परिसर, ग्राम-जेठा, लवसरा रोड जिला सक्ती, (छ.ग.) पिन 495689 में निर्धारित तिथि तक प्राप्त होना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक / स्पीडपोस्ट कोरियर के माध्यम से प्रेषित आवेदनों को ही स्वीकार किया जावेगा।
- आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे-
वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।
न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 18 अंक। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों को 02 बोनस अंक दिए जाएंगे। उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी।
वॉक इन इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर दोनों रखा जाना है वहां दोनों में 10-10 अंक होंगे।
- अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, अनुभव अंक एवं छ.ग. के मूल निवासी में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची अनुसार 01 पद के विरुद्ध 15 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित की जावेगी। कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की यात्रा मत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
- अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।
- इन कर्मियों को अवकाश सुविधा राज्य में प्रचलित छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 यथा संशोधित में संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कहीं यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।

क्रमशः



चयन हेतु आर्हताएं, मापदण्ड एवं अन्य शर्तें :-

भारत शासन द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत दिए गए मार्गदर्शी निर्देश में चयन हेतु उल्लेखित न्यूनतम अर्हता में राज्य की आवश्यकताओं के आलोक में राज्य एवं जिले के लिए वित्तीय मापदंडों को भी ध्यान में रखते हुए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव एवं वांछित अतिरिक्त योग्यता एवं अन्य शर्तों का निम्नानुसार निर्धारण किया गया है:-

जिला स्तरीय (DHEW) हेतु शैक्षणिक अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव:-

Table with 5 columns: क्र., पदनाम, अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य न्यूनतम अनुभव, वांछनीय योग्यता. It lists requirements for various roles like Jilla Mission Officer, District Officer, etc.

नियुक्ति की अवधि:-

- 1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में संविदा/एकमुश्त वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्ति किया जाएगा तथा तदपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा/ सेवा अवधि प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।
2 चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
3 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद सगाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्य कर्मियों की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
4 योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्तकर्मी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचारण नियम 1962 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।
5 चयनित अभ्यर्थियों को जिला मेडिकल बोर्ड सक्ती में स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र 01 माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य परीक्षण में शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला सक्ती (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला सक्ती (छ.ग.)

स्वयं द्वारा पासपोर्ट साईज फोटो पर हस्ताक्षर जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए चस्पा करें

- 1 आवेदित पद का नाम:-----
2 आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में):----- (अंग्रेजी में) :-----
3 पिता/पति का नाम :-----
4 स्थायी पता :-----
5 (वर्तमान पता) :----- दूरभाष/मो.नं. -----
6 जन्मतिथि (अंकों में) (शब्दों में)
7 दिनांक 01/01/2023 को आयु :- वर्ष-----माह-----दिन----- पुष्टि हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।)
8 लिंग पुरुष / महिला
9 जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) जाति..----- वर्ग-----
10 क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं? (यदि हों तो सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।) हाँ/ नहीं
11 विवाहित / अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता:-----
12 यदि आप विवाहित हैं तो दिवाह की तिथि व जीवित बच्चों की संख्या:-----
13 शैक्षणिक योग्यता:- (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

Table with 6 columns: क्र., उत्तीर्ण परीक्षा, उत्तीर्ण वर्ष, बोर्ड/संस्था/वि.वि. का नाम, प्राप्तांक/पूर्णांक, प्रतिशत, श्रेणी

15 अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें)-

Table with 5 columns: संस्था का नाम, पदनाम, अनुभव का विवरण कब से कब तक, वेतन एवं पद छोड़ने का कारण, कार्य का प्रकार

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं।

- 16 रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक
17 रोजगार कार्यालय का नाम व जिला
18 जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त / जारी) संलग्न करें।
19 निवास प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त / जारी) संलग्न करें।
20 अनिवार्य संलग्नकों की सूची:-
1. जन्म तिथि हेतु 10 वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र
2. 12 वीं अंकसूची
3. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र
4. मूल निवास प्रमाण पत्र।
1. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र।
2. पहचान पत्र /आधार कार्ड/ वोटर आईडी इत्यादि।
3. एक लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिखा व 10 रू डाक टिकट सहित।
17. अन्य संलग्नकों का विवरण
1-----2-----3-----4-----5-----7-----8-----

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

// घोषणा पत्र //

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य पूर्ण एवं सही हैं एवं आवेदित पत्र के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता/ रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद के लिए मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में मुझे कोई नोटिस दिये बिना मेरी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर पूरा नाम एवं पता----- मोबाइल नम्बर----- ईमेल आईडी-----

कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

(खेल एवं युवा कल्याण)

क्रमांक / 442/ खेल युवा/स्थापना/2024-25

दन्तेवाड़ा, दिनांक 11/12/2024

वॉक-इन-इन्टरव्यू की सूचना

खेल एवं युवा कल्याण विभाग दन्तेवाड़ा अन्तर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति अर्हताधारी उम्मीदवारों से वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से किया जाना है। इस हेतु दिनांक 24 दिसम्बर 2024 को समय 11.00 बजे से कार्यालय कलेक्टर (शंकनी सभाकक्ष) जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.) में वॉक-इन-इन्टरव्यू आयोजित किया गया है।

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या								वेतन मान	विहित शैक्षणिक अर्हतायें
		अनारक्षित		अ.पि.व.		अ.ज.जा.		अ.जा.			
		मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	क्रिकेट कोच	1	0	0	0	0	0	0	0	वेतन लेवल-09, संविदा वेतन- 35165/-	BPED, MPED एवं NIS (पूर्ण कालिक) डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को प्राथमिकता प्रदाय किया जावेगा। थाई बाक्सिंग में डिप्लोमा एवं कोचिंग का अनुभव होना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को प्राथमिकता प्रदाय किया जावेगा। बैचलर ऑफ फिजियोथैरेपी, मास्टर इन स्पोर्ट्स फिजियोथैरेपी, यू.जी.सी.से मान्यता प्राप्त फिजियोथैरेपी डिग्री, राज्य से संबंधित लाइसेंस, शारीरिक दक्षता में निपुण होना चाहिए।
2	फुटबॉल कोच	1	0	0	0	0	0	0	0		
3	कराते कोच	1	0	0	0	0	0	0	0		
4	कुश्ती कोच										
5	बैडमिंटन कोच	1	0	0	0	0	0	0	0		
6	थाई बाक्सिंग कोच	1	0	0	0	0	0	0	0		
7	फिजियो थैरिपिस्ट	1	0	0	0	0	0	0	0		

टीप :- उपरोक्त भर्ती के संबंधित विस्तृत जानकारी जानकारी जिले के वेब साईट www.dantewada.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है।

नियम शर्त एवं चयन प्रक्रिया

- उक्त नियुक्ति छत्तीसगढ़ संविदा भर्ती नियम 2012 के अध्याधीन रहेगी। छत्तीसगढ़ शासन के भर्ती नियम में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है या निर्देश जारी किया जाता है तो उक्त भर्ती में भी लागू होगा।
- उपरोक्त दर्शित शैक्षणिक अर्हता पाये जाने पर प्रथम प्राथमिकता जिले के स्थानीय निवासी को दिया जावेगा, द्वितीय प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी को दिया जावेगा एवं तृतीय प्राथमिकता में अन्य राज्य के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जावेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा निवास प्रमाण पर संलग्न करें।
- आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2024 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में समय-समय पर जारी छूट अनुसार छूट दिया जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित वर्ग एवं स्थानीय निवासी महिलाओं हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट संबंधित समय समय पर जारी निर्देश लागू होंगे। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की महिलाओं हेतु समस्त छूट को सम्मिलित करते हुए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। दस्तावेज सत्यापन के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- आवेदक को जाति के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- आयु सीमा के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
- उम्मीदवार को अपनी आयु सत्यापन हेतु हाई स्कूल प्रमाण की (10वीं अंकसूची की स्वप्रमाणित) छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
- अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का पासपोर्ट आकार के फोटो चिपकायें। आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अनिवार्य है।

- उम्मीदवार के द्वारा आवेदित पद का नाम, वर्ग स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में दर्शाना अनिवार्य होगा।
- अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जावेगा एवं उम्मीदवार को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि विज्ञापन में निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर एवं सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पुरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जावेगा।
- भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में प्राप्त पुरस्कार (पदमश्री, पदमभूषण, पदमविभूषण, अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न एवं राज्य सरकार द्वारा वीर हनुमान सिंह पुरस्कार (प्रशिक्षक), शहीद राजीव गांधी पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंडावत सम्मान। एक या एक से अधिक पुरस्कार / सम्मान प्राप्त उम्मीदवारों को एक की गणना की जावेगी) के आधार पर संयुक्त मेरिट सूची तैयार करते हुए साक्षात्कार के लिए चयन किया जावेगा।
- प्राविण्यता क्रम अनुसार उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के लिए अधिकतम 1.5 अनुसार किया जावेगा।
- चयन के संबंध में चयन समिति द्वारा अनुशंसा किया जावेगा एवं कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद अथवा समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के पास सुरक्षित रहेंगे।
- चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- प्रतिक्षा सूची नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से छः माह के लिए मान्य होगी।
- आवेदक आवेदन को पूर्ण भरकर, हस्ताक्षर कर एवं संलग्न होने वाले समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न कर आवेदन किया जाना है। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- समस्त प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी होने के अंतिम तिथि को जीवित होना अनिवार्य होगा।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

18. उक्त संविदा भर्ती प्रथम 01 वर्ष के लिए होगी। जिसकी वार्षिक समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद, परिणाम मूलक नहीं होने पर 30 दिवस की पूर्व सूचना द्वारा संविदा भर्ती समाप्त की जा सकती है। कर्मचारी द्वारा अत्यधिक अनुचित व्यवहार पाये जाने पर संविदा नियुक्ति बिना कारण बताये तत्काल समाप्त की जा सकती है।
19. यह भर्ती पूर्णतः संविदा है। इस भर्ती के आधार पर कर्मचारी को भविष्य में नियमित पद में नियुक्ति नहीं किया जाएगा।
20. अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को भर्ती में प्राथमिकता प्रदाय किया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जि.पं. एवं जिला खेल अधिकारी
खेल एवं युवा कल्याण विभाग दन्तेवाड़ा

आवेदन पत्र-----

पंजीयन क्रमांक :-----
फोटो चस्पा करें :-----
आवेदित पदनाम :-----
आवेदक का नाम :-----
पिता का नाम :-----
जाति :-----
जन्मतिथि :-----
रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन नम्बर :-----
स्थाई पता :-----
वर्तमान पता :-----
मोबाईल नम्बर :-----

शैक्षणिक योग्यता:-

क्र	परीक्षा का नाम	वि.वि./संस्था का नाम	वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत

विशेष योग्यता :-

क्र	परीक्षा का नाम	वि.वि./संस्था का नाम	वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत

अनुभव का विवरण :-

क्र	संस्था का नाम	पदनाम	कब से कब तक	कुल वर्ष

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये समस्त विवरण मेरी जानकारी अनुसार सत्य एवं प्रमाणित है। जानकारी असत्य पाये जाने की स्थिति में मेरा चयन/नियुक्ति निरस्त किया जा सकता है।

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय, अधिष्ठाता

पं.ज.ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

Phone No. 0771-2525602, 2890001 (Fax) 0771-2523919

Email - ptjnm-mcr@rediffmail.com Website - www.ptjnmraipur.in

क्रमांक/चिकि./स्था.1, 11/संविदा/2024/1008

रायपुर, दिनांक 11/12/24

पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर हेतु शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप अनुसार पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के द्वारा विभिन्न विभागों में सहायक प्राध्यापक के 56 पद, सीनियर रेसीडेंट नियमित के 10 पद, सीनियर रेसीडेंट संविदा के 96 पद, रजिस्ट्रार मेडिकल फिजिक्स के 04 पद एवं सीटीवीएस विभाग हेतु सहायक प्राध्यापक के 12, सीनियर रेसीडेंट के 10 नवीन सृजित पद तथा तृतीय श्रेणी परफ्यूसिनिस्ट के 03 पद एवं फिजिशियन असिस्टेंट (कार्डियक सर्जरी) 03 पदों तथा डॉ. भी.अं. स्मृति चिकित्सालय रायपुर के द्वारा चिकित्सालय एसो० बल्ड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर के 01 पद, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के 11 पद, सहायक प्राध्यापक (रेडियोथेरेपी 100 बिस्तर अस्पताल सेटअप) के 02 पद, केजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के 01 पद, मेडिकल ऑफिसर के 01 पद, रेसीडेंट के 01 पद, फिजियोथेरेपिस्ट के 01 पद पर आरक्षण रोस्टर अनुसार संविदा से भर्ती किये जाने हेतु दिनांक 20/12/2024 दिन शुक्रवार को वाक्-इन-इण्टरव्यू आयोजित किया जा रहा है। इन्टरव्यू बोर्ड रूम, अधिष्ठाता कक्ष में आयोजित किया गया है। रिक्त पदों का विवरण महाविद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा। आवेदक निर्धारित तिथि को कार्यालयीन अवधि में अपने आवेदन साक्षात्कार स्थल पर अनिवार्य रूप से जमा करे। जिसमें पात्रतानुसार उम्मीदवार अपने समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों एवं उसकी छायाप्रति मय पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ सम्मिलित हो सकते हैं। उक्त नियुक्ति छ.ग. चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) संविदा सेवा भर्ती नियम 2012 की अधिसूचना के तहत होगी।

विभागों की रिक्त पदों की उपलब्धता के अनुसार आवेदन की जाँच कर वाँक-इन-इन्टरव्यू लिये जायेंगे।

उक्त पदों में आरक्षण नियम का पालन शासन के निर्देशानुसार करते हुये नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।

टीप:-

- रिक्त पदों की जानकारी संस्था के नोटिस बोर्ड में चस्पा किया जावेगा।
- विभागवार रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
- वाक् इन इन्टरव्यू के आवेदन फार्म जमा करने का समय कार्यालयीन अवधि में दोपहर 12:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।
- समयावधि समाप्त होने पश्चात् आवेदन फार्म जमा नहीं लिया जावेगा।
- रिक्त पदों की विज्ञापन की सूची कॉलेज की वेबसाइट पर अवलोकन किया जा सकता है।

अधिष्ठाता

पं.ज.ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला कोरबा छ.ग.

क्रमांक /डी.एम.एफ./2024/ 12113

कोरबा दिनांक : 06-12-2024

सूचना

कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक/डी.एम.एफ./2024/7058, कोरबा, दिनांक 02.07.2024 द्वारा जिला खनिज न्यास मद से दंत चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती हेतु विज्ञापित पद पर प्राप्त आवेदन के आधार पर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला पद की पात्र/अपात्र की सूची कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा तथा कोरबा जिले के शासकीय वेबसाइट www.korba.gov.in में सर्व संबंधितों के अवलोकनार्थ एवं दावा आपत्ति हेतु अपलोड कर दिया गया है। सूची के समस्त कॉलमों का उम्मीदवारों द्वारा सूक्ष्म अवलोकन कर दावा आपत्ति इस कार्यालय में दिनांक 23:12:2024 समय 5:00 बजे तक आवश्यक दस्तावेज सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जावेगा। निर्धारित समय पर प्राप्त दावा आपत्ति का नियमानुसार निराकरण कर पृथक से दावा आपत्ति निराकरण सूची एवं पात्र सूची कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा तथा उक्त वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कोरबा छ.ग.

आर.ओ.209/जी-242504443.4



बस्तर ओलंपिक: विकास, संस्कृति और शांति का उत्सव

जगदलपुर में आयोजित बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने इसे बस्तर के विकास, शांति और नई शुरुआत का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। श्री शाह ने भरोसा जताया कि नक्सल मुक्त बस्तर कश्मीर से भी अधिक पर्यटकों को आकर्षित करेगा, जिससे यहां रोजगार और समृद्धि के नए अवसर पैदा होंगे।



करसाय ता बस्तर बरसाय ता बस्तर

युवाओं की ऊर्जा का उत्सव

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर ओलंपिक केवल खेलों का आयोजन नहीं, बल्कि बस्तर की सांस्कृतिक विरासत, उत्साह और ऊर्जा का उत्सव है। इस आयोजन में 1.65 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। 300 आत्मसमर्पित माओवादियों और 18 माओवादी हिंसा से प्रभावित दिव्यांग खिलाड़ियों की भागीदारी ने इसे ऐतिहासिक बनाया।

शांति और विकास की ओर बस्तर का कदम

बस्तर की पहचान अब माओवाद की हिंसा से नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक विरासत और विकास से होगी। बस्तर ओलंपिक ने यह साबित कर दिया है कि युवाओं की असीम संभावनाओं को सही दिशा दी जाए, तो यह क्षेत्र नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है।

खेलों से एक नई शुरुआत

बस्तर ओलंपिक ने न केवल खेल प्रतिभागियों को मंच दिया, बल्कि बस्तर के बदलते परिदृश्य का प्रतीक भी बना। यह आयोजन क्षेत्र के विकास और शांति की नई इबारत लिख रहा है।

1000 नक्सली गिरफ्तार, 837 का आत्मसमर्पण

गृहमंत्री ने कहा पिछले एक साल में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों ने 287 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया है। 1000 को गिरफ्तार किया है और 837 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मारे गए नक्सलियों में 14 शीर्ष नक्सली शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की सख्त नीति के कारण 4 दशकों में पहली बार नागरिकों और सुरक्षाबलों की मृत्यु का आंकड़ा 100 से नीचे आया है।



बस्तर ओलंपिक में इन खेलों विकासखण्ड स्तर से लेकर संभाग स्तर पर हुआ आयोजन

बस्तर ओलंपिक में 11 खेल विधाओं के अंतर्गत खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन विकासखण्ड, जिला और संभाग स्तर पर किया गया।

- एथलेटिक्स
- तीरंदाजी
- बैडमिंटन
- फुटबॉल
- हॉकी
- वेटलिफ्टिंग
- कराते
- कबड्डी
- खो-खो
- वॉलीबॉल
- रस्साकसी

क्र.	जिला	महिला	पुरुष	कुल आवेदन
1.	बस्तर	18,143	19,507	37,650
2.	कोडगांव	23,272	13,597	36,869
3.	कांकेर	5,238	8,429	13,667
4.	सुकमा	4,341	6,947	11,288
5.	नारायणपुर	18,093	20,486	38,579
6.	दत्तेवाड़ा	8,706	7,871	16,577
7.	बीजापुर	4,133	6,557	10,690
	कुल	81,926	83,374	1,65,300



सभी संबंधित विभागों ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर राजधानी से लेकर बस्तर संभाग मुख्यालय, जिला मुख्यालयों तथा विकासखण्डों में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया, ताकि बस्तर क्षेत्र के अधिक से अधिक युवा इसमें भाग ले सकें। विकासखण्ड स्तर एवं जिला स्तरीय आयोजन के संपूर्ण आयोजन सहित संभाग स्तरीय आयोजन की सभी प्रारंभिक तैयारियां की गई थी।

नया बाट खिलाड़ियों का दस्ता देश के लिए उम्मीद की नई किरण

केंद्रीय गृहमंत्री श्री शाह ने कहा कि आज मैंने नया बाट दस्ते की प्रतिभा को देखा और मेरा मन संवेदना से भर गया। ये नया बाट खिलाड़ियों का दस्ता देश के लिए उम्मीद की नई किरण है। उन्होंने बस्तर के युवाओं से कहा कि हार मानने वाला कभी नहीं जीता बल्कि जीतता वो है जो कभी हार नहीं मानता। मुझे पूरा विश्वास है कि 2026 के ओलंपिक में जब बस्तर की कोई बेटी मेडल लेकर आएगी तो देश को उस पर गर्व होगा और हम इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

ये हैं भाषण की खास बातें

- सरदार साहब के अदम्य साहस और दृढ़ता ने ही इस देश को एक करने का काम किया। पीएम मोदी ने सरदार साहब के अधूरे कामों को पूरा किया।
- 1951 में सबसे पहला राष्ट्रपति का निशान नौसेना को दिया गया था और इस निशान को पाने के लिए किसी भी सशस्त्र बल को 25 साल तक सेवा देनी होती है। उन्होंने पुलिस की 25 साल की सेवा, बलिदान को सम्मानित करने के लिए धन्यवाद दिया।
- पुलिस को अपराधों और नारकोटिक्स के खिलाफ भी सफलताएं मिली हैं। 1 जनवरी, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक नारकोटिक्स के 1100 केस दर्ज किए गए हैं, 21 हजार किलोग्राम गांजा, 6 हजार किग्रा अफीम और लगभग 1 लाख 95 हजार नशीली दवाएं जब्त की गई हैं।



बलौदा बाजार को 192 करोड़ की सौगात

सोनाखान पहुंचकर मुख्यमंत्री ने वीर शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मभूमि और कर्मभूमि सोनाखान में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बलौदा बाजार जिले को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने 192 करोड़ 8 लाख 69 हजार रुपये की लागत के 242 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। कार्यक्रम में 41 करोड़ 93 लाख 50 हजार रुपये की लागत के 122 विकास कार्यों का भूमिपूजन और 150 करोड़ 15 लाख 19 हजार रुपये की लागत के 120 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सोनाखान में पोस्ट मेट्रिक छात्रावास खोलने, सोनाखान मंडई मेला के लिए 15 लाख देने, 23 पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थलों में हाई मास्ट लाईट लगाने, सोनाखान के



3 तालाबों का अमृत सरोवार में उन्नयन तथा शहीद वीर नारायण के वंशज जो पेंशन से वंचित हैं उन सभी सदस्यों को भी पेंशन देने की घोषणा की।

साकार हुआ सपनों का घर

मुख्यमंत्री श्री साय ने पीएम योजना के अंतर्गत 531 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र सौंप और 10 लाभाधिकियों को घरों की चाबियां प्रदान की।

निगम के प्रत्येक जोन में बॉक्स स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स बनेगा

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रायपुर में मल्टीलेवल पार्किंग में 1000 सीटर को-वर्किंग स्पेस प्रारंभ किया

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रायपुर के भाटागांव स्थित अंतरराज्यीय बस स्टैंड में नवनिर्मित इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया और जयस्तंभ चौक की मल्टीलेवल पार्किंग में 1000 सीटर को-वर्किंग स्पेस का वचुंअल लोकार्पण किया। उन्होंने सेंटर फॉर इनोवेशन, ट्रेड एंड स्किलिंग की स्थापना और हर नगर निगम जोन में बॉक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण की घोषणा की।

युवाओं को मिलेंगी अत्याधुनिक सुविधाएं

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 48 लाख रुपये की लागत से तैयार आरंभ स्टार्टअप को-वर्किंग सेंटर और 1 करोड़ रुपये की लागत से बने इनोवेशन सेंटर प्रदेश के युवाओं के लिए वरदान साबित होंगे। यहां



स्टार्टअप उद्यमियों को ऑफिस स्पेस, प्राइवेट कैबिन, कंप्यूटर, फर्नीचर, कैफेटेरिया और प्रेजेंटेशन के लिए ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

ओयो करेगा 500 करोड़ का निवेश

कार्यक्रम में ओयो के फाउंडर श्री रितेश अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में 500 करोड़

रुपये का निवेश करने और 15 हजार रोजगार सृजित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, "छत्तीसगढ़ की नीतियां स्टार्टअप के लिए प्रेरणादायक हैं। यहां युवाओं को अपने बिजनेस आइडिया को साकार करने का बेहतर अवसर मिलेगा।"

छत्तीसगढ़ बनेगा स्टार्टअप हब

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा, "युवाओं में असीम संभावनाएं हैं। सरकार उनके हर कदम पर साथ खड़ी है। यह पहल उन्हें वैश्विक मंच पर पहुंचाने का मजबूत आधार बनेगी।" यह प्रयास छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी स्टार्टअप राज्य बनाने और युवाओं को आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा।

छत्तीसगढ़

सीएम ने पखांजूर-मायापुर सड़क, खेल परिसर, नालंदा परिसर लाइब्रेरी निर्माण की घोषणा की



मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कांकेर जिले के पखांजूर में 254.15 करोड़ रुपए की लागत के 68 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। कार्यक्रम में उन्होंने पखांजूर-मायापुर सड़क सुदृढ़ीकरण के लिए 8.78 करोड़ रुपए, खेल परिसर निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए और नालंदा परिसर लाइब्रेरी निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा, "बस्तर अंचल अब विकास की बयार महसूस कर रहा है। सड़क, स्कूल, पेयजल, आवास और बिजली जैसी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। हमारी सरकार क्षेत्र की उन्नति और लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित है।" इस मौके पर उन्होंने नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री असीम रॉय की प्रतिमा का अनावरण भी किया। कुल 215.41 करोड़ रुपए के 43 विकास कार्यों का भूमिपूजन और 38.74 करोड़ रुपए के 25 कार्यों का लोकार्पण किया गया।

अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भी एक लाख रुपए की सहायता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार ने निर्माण श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लिया

है। अब कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। अब तक केवल पंजीकृत श्रमिकों को सहायता राशि का प्रावधान था, लेकिन श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के निर्देशन में इस योजना में संशोधन किया गया है। नई व्यवस्था के तहत अपंजीकृत श्रमिक परिवार भी लाभान्वित होंगे।

पीएम-स्वनिधि योजना और एनयूएलएम में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया सम्मानित

राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने पीएम-स्वनिधि योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों, बैंकों, लाभार्थियों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पीएम-स्वनिधि योजना ने स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनने में मदद की है, वहीं एनयूएलएम योजना ने महिलाओं को उद्यमशीलता की दिशा में आगे बढ़ाया है। शहरी बेघरों के लिए आश्रयस्थल की निगरानी पर भी जोर दिया। साथ ही, छत्तीसगढ़ के चार नगरीय निकायों को स्पार्क अवार्ड 2023-24 से सम्मानित करने की घोषणा की।

बस्तर और सरगुजा के लिए 22.31 करोड़ की स्वीकृति

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग ने बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण के तहत आने वाले जिलों के विकास कार्यों के लिए 22 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपए की स्वीकृति जारी की है। बस्तर विकास प्राधिकरण के लिए 11.79

करोड़ और सरगुजा के लिए 10.52 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। इन निधियों का उपयोग सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, शौचालय निर्माण, जल आपूर्ति, और सामुदायिक भवन जैसे विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। यह कदम इन क्षेत्रों के समग्र विकास और स्थानीय लोगों की जिंदगी में सुधार लाने में सहायक होगा।

बिलासपुर को 452 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड में 451.25 करोड़ रुपये की लागत से 134 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान 3,883 हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करते हुए सामग्री और चेक वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बेड की संख्या 30 से बढ़ाकर 50 करने, चौपाटी निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये और बाबा गुरुघासीदास जयंती उत्सव के लिए 5 लाख रुपये की घोषणा की। इसके अलावा, उन्होंने 142 चयनित कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री ने बाइक एम्बुलेंस सेवा के लिए जिला प्रशासन की सराहना की।

एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2024 पोलिंग बूथ ऑफिसर अवॉर्ड

कांकेर के अतिरिक्त संवेदनशील पोलिंग बूथ के पीठासीन अधिकारी टिकेश कुमार साहू को एनडीटीवी के एडिटर-इन-चीफ ने एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2024 पोलिंग बूथ ऑफिसर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार भी उपस्थित थे। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दौरान उत्कृष्ट

कार्यों के लिए 6 राज्यों के पीठासीन अधिकारियों को एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2024 पोलिंग बूथ ऑफिसर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में कांकेर जिले के अंतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गुड़ाबेड़ा मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी टिकेश कुमार साहू भी सम्मानित हुए। उन्होंने नक्सल प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्र में 71% मतदान करवा कर मतदान दल की सकुशल वापसी कराई थी।

मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का शुभारंभ, सरगुजा में 536 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अंबिकापुर में 536 करोड़ रुपए की लागत के 1614 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने अंबिकापुर नगर निगम के अधोसंरचना विकास के लिए 23.90 करोड़ रुपए की घोषणा की। सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को डीकेएस रायपुर की तर्ज पर विकसित करने और इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का शुभारंभ किया। यह योजना मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद करेगी।

ई-गवर्नेंस को मिल रहा बढ़ावा स्वागतम पोर्टल

मंत्रालय आने वाले आगंतुकों के लिए प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। स्वागतम पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण, यात्रा का उद्देश्य, व्यक्तिगत जानकारी और मिलने का समय दर्ज करने पर उन्हें तुरंत पुष्टिकरण संदेश और प्रवेश पत्र प्राप्त होगा।

राष्ट्रीय

संजय मल्होत्रा ने आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला



मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनके नाम को मंजूरी दी। वह शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। राजस्थान के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है। वित्त, कराधान और सार्वजनिक नीति में 33 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, उन्होंने पहले राजस्व सचिव के रूप में कार्य किया और वित्तीय सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संजय मल्होत्रा को 11 दिसंबर, 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का छब्बीसवां गवर्नर नियुक्त किया गया।

एयर इंडिया फ्रांस की एयरबस से खरीदेगा 100 नए विमान

टाटा समूह के स्वामित्व वाली विमानन कंपनी एयर इंडिया ने फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी एयरबस को 100 नए विमानों का ऑर्डर दिया है। इसमें 10 चौड़ी बांडी वाले ए-350 और 90 संकरी बांडी वाले ए-320 परिवार के विमान शामिल हैं। यह ऑर्डर एयरबस और बोइंग से पिछले साल किए गए 470 विमानों के ऑर्डर के अतिरिक्त है। एयर इंडिया ने 2023 में एयरबस को 350 विमानों का ऑर्डर दिया था। इसमें 40 ए-350 और 310

ए-320 विमान शामिल हैं। एयर इंडिया ने एयरबस के साथ विमानों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए भी समझौता किया है। एयर इंडिया ए-350 विमानों को ऑपरेट करने वाली भारत की पहली एयरलाइन है।

भारत को मिला मल्टी-रोल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट 'आईएनएस तुशील'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में रूस के कलिनिनग्राद में यंतार शिपयार्ड में आईएनएस तुशील (एफ 70) का जलावतरण किया गया। "तुशील" का मतलब है - रक्षात्मक कवच। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में इस कमीशनिंग को भारत की बढ़ती समुद्री ताकत और भारत-रूस की दोस्ती का प्रमाण बताया। आईएनएस तुशील 125 मीटर लंबा और 3,900 टन वजन का है। यह समुद्र में कई तरह के हमलों को रोकने में सक्षम है। इसमें हवा, पानी की सतह, पानी के भीतर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसी कई तरह की स्थितियों में लड़ने की क्षमता है। यह बहमोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित कई अन्य हथियारों से लैस है। यह नवीनतम मल्टी रोल स्टील्थ फीचर से लैस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। भारत ने 4 स्टील्थ फ्रिगेट के लिए 2016 में रूस से डील किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने महिला सैन्य अधिकारी को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिए जाने को मंजूरी दे दी। अपने आदेश में शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। 2010 में हाईकोर्ट ने महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने की बात कही थी। केंद्र ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमें कहा

था कि भारतीय सेना में यूनिट पूरी तरह पुरुषों की है और पुरुष सैनिक महिला अधिकारियों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे।

आईजी स्तर के अधिकारी ही दे सकेंगे फोन टैपिंग का आदेश

केन्द्र सरकार ने फोन टैपिंग करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये मुख्य रूप से गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट करते हैं। अब आपातकालीन स्थितियों में राज्य स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारियों को टैपिंग के आदेश जारी करने की अनुमति दी गई है। यदि सक्षम प्राधिकारी इस आदेश की पुष्टि नहीं करते हैं तो इंटरसेप्ट यानी टैप किए गए संदेशों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

मुंबई के वेलिंगकर इंस्टीट्यूट में सम्पन्न हुआ स्मार्ट इंडिया हैकाथन-2024

मुंबई के वेलिंगकर इंस्टीट्यूट में स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2024 सम्पन्न हुआ। इसमें 204 छात्रों की 34 टीमों ने हिस्सा लिया। इसकी विभिन्न श्रेणियों में गिरिजानंद चौधरी विश्वविद्यालय गुवाहाटी की टीम - टेराबाइट, नवीं मुंबई के दत्ता मेघा इंजीनियरिंग कॉलेज की टीम -शिलेदार, बंगलुरु के दयानंद इंजीनियरिंग कॉलेज की टीम -रडारविजन, चेन्नई के राजलक्ष्मी इंजीनियरिंग कॉलेज की टीम -एरिस्टोस, छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र की टीम -पावर एक्स एमजीएम जेएनईसी, पंजाब के थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की टीम -संकल्प 007 और चेन्नई इंस्टीट्यूट की टीम -एक्स-हेलिऑस विजयी रही।

देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक चेन्नई में स्थापित

आईसीएमआर ने चेन्नई में देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया है। इससे डायबिटीज के कारणों को लेकर रिसर्च और नए बायोमार्कर की पहचान आसान होगी। रोगियों के बायो सैंपल भी सुरक्षित रखे जा सकेंगे। राम मंदिर को सुरक्षा के लिए ब्रिटेन का अवॉर्ड अयोध्या श्रीराम मंदिर प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेप्टी काउंसिल ने 'स्वॉर्ड ऑफ ऑनर' अवॉर्ड से नवाजा है। कंपनी एलएंडटी को नेशनल सेप्टी काउंसिल ने 'गोल्डन ट्रॉफी' से नवाजा है।

पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन की खबर से शोक में डूबे संगीत प्रेमी



विश्व विख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन 16 दिसंबर को हो गया है। उनका जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। उस्ताद श्री जाकिर को 1988 में पद्म श्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। श्री जाकिर को तीन ग्रैमी अवॉर्ड भी मिल चुके थे। प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के माहिम स्थित सेंट माइकल स्कूल से हुई थी। इसके अलावा उन्होंने प्रेजुएशन मुंबई के ही सेंट जेवियर्स कॉलेज से किया था। 11 साल की उम्र में अमेरिका में पहला कॉन्सर्ट किया था। 1973 में पहला एल्बम 'लिविंग इन द मैटेरियल वर्ल्ड' लॉन्च किया था।

अंतरराष्ट्रीय

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष चुनी गई
भारतवंशी छात्रा

एक भारतवंशी ब्रिटिश छात्रा अनुष्का काले को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। दुनिया की सबसे पुरानी वाद-विवाद सोसायटियों में से एक यह संस्था 1815 से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में खुद को गौरवान्वित महसूस करती है। हाल ही में हुए चुनाव में अनुष्का को अगले ईस्टर 2025 कार्यकाल के लिए निर्विरोध निर्वाचित होने के लिए 126 वोट मिले।

मेटा का नया लामा एआई मॉडल लॉन्च

सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने अपना नया एआई मॉडल लामा 3.3 लॉन्च किया है। इसमें 70 अरब पैरामीटर हैं। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग का कहना है कि यह बड़े मॉडल जितना अच्छा काम करता है, लेकिन ज्यादा तेज और किफायती है। यह मॉडल मेटा के लामा सिस्टम को और ज्यादा उपयोगी बनाएगा। यह डेवलपर्स को मेटा के ओपन सोर्स एआई सिस्टम पर आसानी से काम करने की सुविधा देगा। बता दें कि मेटा एआई का अब 60 करोड़ लोग हर महीने इस्तेमाल कर रहे हैं। जकरबर्ग का कहना है कि लामा मॉडल 65 करोड़ बार डाउनलोड हुआ है जो इसे सबसे लोकप्रिय

बनाता है। मेटा ने अपने एआई टूल्स को ओपन सोर्स किया है, ताकि डेवलपर्स आसानी से इसका उपयोग कर सकें।

साउथ कोरिया में राष्ट्रपति पर लगा ट्रैवल बैन

साउथ कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक-योल पर ट्रैवल बैन लगा दिया गया। साउथ कोरिया के करप्शन इन्वेस्टिगेशन हेड ने बताया कि राष्ट्रपति पर यह बैन मार्शल लॉ लगाने के कारण लगाया गया है। यून सुक-योल ने विपक्षी पार्टी पर नॉर्थ कोरिया से सांठगांठ करने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया था।

सीरिया पर इस्लामी विद्रोहियों का कब्जा, राष्ट्रपति
असद ने भागकर मास्को में ली शरण

सीरिया में 24 साल लंबे बशर अल-असद शासन का अंत हो गया है। हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) के कमांडर अबु मोहम्मद अल-जुलानी के नेतृत्व में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति बशर देश छोड़कर भाग गए हैं। बशर अल-असद अपने परिवार के साथ रूस की राजधानी मास्को पहुंच गए हैं। दमिश्क पर कब्जे के करीब एक घंटे बाद सरकारी टीवी पर विद्रोहियों के समूह का बयान प्रसारित किया गया, राष्ट्रपति बशर को सत्ता से उखाड़ फेंका गया है और जेल से कैदियों को रिहा कर दिया गया है। अनस सलखादी नामक विद्रोही कमांडर ने सरकारी टीवी पर अल्पसंख्यकों को भरोसा दिया कि किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसने कहा, सीरिया सभी के लिए है, कोई अपवाद नहीं। हम लोगों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा असद परिवार ने किया।

समुद्री सुरक्षा और सहयोग की नई दिशा, कोच्चि पहुंचा
वियतनाम का तट रक्षक जहाज सीएसबी 8005

भारत और वियतनाम के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए वियतनाम का तट रक्षक जहाज, सीएसबी 8005 कोच्चि पहुंचा। तटरक्षक जिला मुख्यालय के जिला कमांडर डीआईजी एन रवि ने आगंतुक जहाज का स्वागत किया। दोनों देश सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए "सहयोग - हॉप टैक" अभ्यास में हिस्सा लेंगे। जहाज का चालक दल पेशेवर बातचीत, अभ्यास और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेगा। यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को मजबूत करेगी। इससे समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

रूस ने अपने कुछ राजनयिकों को सीरिया की
राजधानी दमिश्क से सुरक्षित निकाला

रूस ने अपने कुछ राजनयिकों को सीरिया की राजधानी दमिश्क से सुरक्षित निकाल लिया है, हालांकि रूसी दूतावास काम कर रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राजनयिकों को सीरिया के खमेइमिम एयर बेस से रूसी एयरोस्पेस फोर्स की उड़ान से मास्को ले जाया गया। इससे पहले, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने विद्रोही गुट हयात तहरीर अल-शाम के साथ संपर्क की पुष्टि की। ब्रिटेन सरकार ने भी इस विद्रोही गुट के साथ "राजनयिक संपर्क" किया है। अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल-असद से सत्ता छीनने के बाद इस विद्रोही गुट का अब देश पर नियंत्रण है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने इसकी पुष्टि की और कहा कि यह गुट अब भी एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल है।

फोर्ब्स साल 2024: दुनिया की सबसे ताकतवर
महिलाओं की सूची में तीन भारतीय शामिल

फोर्ब्स ने साल 2024 की दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी कर दी है। इस सूची में उद्योग, मनोरंजन, राजनीतिक, समाज सेवा और नीति नियंत्रण के नाम शामिल हैं। फोर्ब्स की इस 21वीं सूची में तीन भारतीय महिलाओं के नाम हैं। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, किरन मुजूमदार शॉ और रोशनी नादर मल्होत्रा भी शामिल हैं। निर्मला सीतारमण : भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फोर्ब्स की सबसे ताकतवर सूची में 28वें स्थान पर हैं। निर्मला सीतारमण ने मई 2019 में केंद्रीय वित्त मंत्री का पद संभाला थी और उसके बाद से लगातार इस अहम पद पर बनी हुई हैं। निर्मला सीतारमण पर भारत के तेज आर्थिक विकास को बनाए रखने की जिम्मेदारी है और उनके नेतृत्व में भारत पांच खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की राह पर है। निर्मला सीतारमण महिला सशक्तिकरण को लेकर मुखर रही हैं। किरन मुजूमदार शॉ : किरन मुजूमदार शॉ को फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 82वां स्थान दिया गया है। किरन मुजूमदार बायोटेक कंपनी बायोकांन की संस्थापक और चेयरपर्सन हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा : दिग्गज आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन और एचसीएल कॉर्पोरेशन की सीईओ रोशनी नादर मल्होत्रा को फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 81वां स्थान दिया गया है।

खेल / कला

भारतीय फिल्म 'ऑल वी इमेजिन ऐज लाइट'
82वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड के लिए नामांकित

82वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड के लिए भारतीय फिल्म "ऑल वी इमेजिन ऐज लाइट" को दो श्रेणियों में नामांकित किया गया है। पहला, गैर अंग्रेजी भाषा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर के लिए और दूसरा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए फिल्म निर्देशक पायल कपाडिया को नामित किया गया है। सोमवार को नामांकन की घोषणा की गई। "ऑल वी इमेजिन ऐज लाइट" तीन महिलाओं की कहानी है।

महिला युगल में अश्विनी-तनिषा की
जोड़ी चैंपियन बनी

शीर्ष वरीयता प्राप्त अश्विनी पोनप्पा और तनिषा केस्टों की जोड़ी ने गुवाहाटी मास्टर्स बेडमिंटन टूर्नामेंट में रविवार को महिला युगल खिलाड़ियों में जीत हासिल की। अश्विनी-तनिषा ने चीन की ली हुआ झोक और यांग जो मेग को 43 मिनट में 21-18, 21-12 से हरा दिया। यही पुरुष एकल में सतीश करुणाकरण विजेता रहे।

सबालेंका डब्ल्यूटीटी की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी

स्टार टेनिस खिलाड़ी एरिना सबालेंका को पहली

बार डब्ल्यूटीटी की साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। बेलारूस की 26 वर्षीय सबालेंका ने 2024 में दो ग्रैंड स्लैम खिलाड़ियों और दुनिया की नंबर एक महिला टेनिस खिलाड़ी भी बनीं पाउला बडोसा को साल में सर्वश्रेष्ठ वापसी करने वाली खिलाड़ी और लुलु सन को साल की सर्वश्रेष्ठ नयी खिलाड़ी चुना गया।

देवाजीत सैकिया बने कार्यकारी सचिव

बीसीसीआई ने देवाजीत सैकिया को बोर्ड का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है। 1 दिसंबर को जय शाह के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) का नया अध्यक्ष बनने के बाद यह पद रिक्त हो गया था। सैकिया अभी बीसीसीआई के संयुक्त सचिव हैं।

मैनी ने विश्व चैंपियनशिप जीतकर रचा इतिहास

भारतीय ड्राइवर कुश मैनी ने यहाँ एफ2 कंस्ट्रक्टर्स रेस जीतकर भारतीय खेलों में नया इतिहास रचा। वह एफआईए कंस्ट्रक्टर्स विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मैनी के लिए फार्मूला-2 में यह सत्र शानदार रहा। इससे पहले वह इस रेस में पोल पोजीशन हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे।

विश्व एथलेटिक्स विरासत संग्रह में नीरज की जर्सी

जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की पेरिस ओलंपिक वाली जर्सी विश्व एथलेटिक्स विरासत संग्रह में रखी गई है। इस हफ्ते 12 देशों के 23 एथलीट से जुड़ी 32 कलाकृतियां इस संग्रह में जोड़ी गई हैं। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडल विनर नीरज ने हालिया पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था।

रित्विक ने ओडिशा मास्टर्स के साथ
पहला खिलाड़िता जीता

भारत के रित्विक संजीव सतीश कुमार ने यहां ओडिशा मास्टर्स के पुरुष एकल फाइनल में हमवतन थारुन मान्नेपल्ली को हराकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ सुपर 100 बैडमिंटन खिलाड़िता जीता। पिछले महीने तेलंगाना इंटरनेशनल चैलेंज जीतने वाले और फरवरी में श्रीलंका इंटरनेशनल चैलेंज में उपविजेता रहे 21 वर्षीय रित्विक ने सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के उपविजेता थारुन को 43 मिनट में 21-18, 21-16 से हराया। महिला एकल फाइनल में 15 वर्षीय तन्वी शर्मा को चीन की क्वालीफायर काइ यान यान के खिलाफ सिर्फ 35 मिनट में 14-21, 16-21 से शिकस्त झेलनी पड़ी।

गुलवीर सिंह ने नये मीट रिकॉर्ड के
भारतीय पुरुषों का खिलाड़िता जीता

महिला वर्ग में संजीवनी शीर्ष भारतीय रहीं। विभिन्न श्रेणियों में 20,500 से अधिक लोगों ने इस आयोजन में भाग लिया। सुट्टे केबेड़े ने एक घंटा 19:17 मिनट के समय के साथ अपने खिलाड़िता का बचाव किया। कीनिया की विओला चंपेगेन दूसरे और बहरीन की दिसी जिस्सा महिलाओं में तीसरे स्थान पर रहीं।

स्टीफन किस्सा के लिए पुरुषों की रेस में
एक नई शुरुआत

स्टीफन किस्साने पांच वर्षों में पहली बार अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी जीत दर्ज की। उन्होंने टोक्यो (10,000 मीटर) और पेरिस (मैराथन) में ओलंपिक खेलों में और बीच के कुछ अन्य रेसों में इथियोपिया की सुट्टे केबेड़े ने टाटा स्टील वर्ल्ड

25 के (25 किलोमीटर की दौड़) के नौवें सत्र में महिलाओं का ताज बरकरार रखा तो वहीं युगांडा के स्टीफन किस्सा ने यहां पुरुषों की दौड़ में गत चैंपियन कीनिया के डेनियल एवेन्यो पर जीत हासिल की। भारतीय एथलीट धावकों ने भी इस दूरी में नए मीट रिकॉर्ड के साथ खिलाड़िता जीते गुलवीर, महिला वर्ग में संजीवनी रही शीर्ष पर की पहली विश्व एथलेटिक्स गोल्ड स्तर के रेस में शानदार प्रदर्शन किये।

भारतीय महिला जूनियर हाकी टीम
बनी एशिया चैंपियन

भारतीय गोलकीपर निधि के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय महिला जूनियर हाकी टीम ने पेनाल्टी शूटआउट में तीन बार की चैंपियन चीन को हराकर 3-2 (1-1) से लगातार दूसरी बार एशिया कप जीत लिया। निर्धारित समय तक मुकाबला 1-1 से बराबरी रहने के बाद मैच पेनाल्टी शूटआउट में पहुंच गया। इस दौरान भारतीय गोलकीपर निधि चीनी खिलाड़ियों के आगे चढ़ान बनकर खड़ी हो गईं। उन्होंने तीन शानदार बचाव कर चीन को हराने में अहम भूमिका निभाई। इससे पहले, मैच के दौरान चीन को 30वें मिनट में ही कप्तान जिनझुआंग टैन ने बढ़त दिला दी थी। इसके बाद सिवाच कनिका के 41वें मिनट में आए गोल से भारत ने वापसी की।

बृजिंदर फिर निर्विरोध चुने गए आइजीयू अध्यक्ष

बृजिंदर सिंह को यहां वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान लगातार दूसरी बार भारतीय गोल्फ संघ (आइजीयू) का अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष के रूप में दो साल के लिए अवैतनिक 2024-2026 के लिए चुना है।



सुशासन का साल
छत्तीसगढ़ हुआ सुशोहाल



जनादेश परब

पर प्रदेश की जनता का कोटि-कोटि आभार...

13 दिसम्बर 2024



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे

हमसे जुड़ने के लिए



QR स्कैन करें



मनखे मनखे एक समान



सतनाम के प्रवर्तक, छत्तीसगढ़ के जनमानस को एक नई सकारात्मक दिशा देने वाले महान संत

बाबा गुरु घासीदास जी

की जयंती (18 दिसंबर)
पर प्रदेश वासियों को हार्दिक
शुभकामनाएं...



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से जुड़ने के लिए Q.R. Code स्कैन करें

हमने बनाया है, हम ही सँवारेँगे